भारत में

पुलिस सुधार पर चर्चा

राष्ट्रीय पुलिस आयोग

रिबेरो कमेटी

पद्मनाभैया कमेटी

पुलिस अधिनियम प्रारूपण कमेटी से चुनिन्दा संस्तुतियां

और

प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
2008

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन है जो कॉमनवेल्थ के देशों में मानव अधिकारों को व्यवहारिक रूप से हासिल करने में संलग्न है। वर्ष 1987 में अनेक कॉमनवेल्थ व्यावसायिक एसोसिएशनों ने सी.एच.आर.आई. की स्थापना की। उनका विश्वास था कि हालाकि कॉमनवेल्थ ने अपने सदस्य देशों को वैसे मूल्य और कानूनी सिद्धांत प्रदान किया है जिसके आधार पर वे कार्य करते है तथा ऐसा मंच प्रदान किया है जिसमें वे मानव अधिकारों को बढ़ावा देते हैं, परन्तु कॉमनवेल्थ के अन्दर मानव अधिकार के मुद्दों पर कम ध्यान केन्द्रित किया गया है।

सी.एच.आर.आई. का उद्देश्य, कॉमनवेल्थ हरारे सिद्धांतों, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानव अधिकार तंत्र और कॉमनवेल्थ सदस्य देशों में, मानव अधिकारों का समर्थन करने वाले घरेलू तंत्रों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना तथा उसका अनुपालन करना है।

अपने रिपोर्टों और आवधिक जांच के माध्यम से सी.एच.आर.आई. कॉमनवेल्थ देशों में मानव अधिकरों की प्रगति और उसमें बाधाओं के बारे में निरन्तर ध्यान आकर्षित करता है। मानव अधिकार के उल्लंघन को रोकने की अवधारणा और उपायों के समर्थन में सी.एच.आर.आई. कॉमनवेल्थ सचिवालय सदस्य सरकारों तथा सिविल समाज एसोसिएशनों का ध्यान आकर्षित करता है। अपनी जन शिक्षा कार्यक्रमों, नीति संबंधी वार्ता, तुलनात्मक शोध, समर्थन और नेटवर्क के माध्यम से सी.एच.आर.आई. का विचार अपने प्राथमिक मुद्दों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है।

सी.एच.आर.आई. के प्रायोजक संगठनों का स्वरूप' इसे एक राष्ट्रीय पहचान और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क प्रदान करता है। ये व्यावसायिक संगठन अपने कार्यों में मानव अधिकार मानदंडों को शामिल कर सार्वजनिक नीति का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं तथा मानव अधिकार सूचना, मानदंड और प्रथा के प्रसार में एक माध्यम के रूप में कार्य करते है। ये समूह स्थानीय जानकारी को भी प्रोत्साहित करते हैं, नीति निर्माताओं तक उनकी पहुंच है, मुद्दों को उजागर करते हैं और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में एक सहयोजक के रूप में कार्य करते हैं।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली, भारत में स्थित है तथा इसके लंदन, यू.के. और आक्रा, घाना में कार्यालय हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति–सैम ओ कुदजेतो, अध्यक्ष, सदस्य–यूनिस ब्रुकमेन–अमिसाह, मर्रे बर्ट, ज्यां कोर्स्टन, माया दारूवाला, एलिसन–डक्सवरी, नेविले लिंटन, बी.जी. वर्गीज़, जोहरा युसुफ। कार्यकारी समिति–बी.जी. वर्गीज़–चेयरपर्सन, माया दारूवाला–निदेशक, सदस्य–अनु आगा, बी.के. चन्द्रशेखर, भगवान दास, नितिन देसाई, के.एस.ढिल्लन, हरिवंश, संजय हजारिका, पूनम मुत्रेजा, आर.वी.पिल्लई, मूलचन्द शर्मा, रूमा पाल।

कार्यकारी समिति–नेविसे लिंटन–अध्यक्ष, सदस्य–आस्टिन डेविस, मीनाक्षी धर, रूमा पाल, डेंरक इंग्रम, कॉलिन निकोलस, लिंडसे रॉस, एलिजाबेथ स्मिथ।

'कॉमनवेल्थ जर्नलिस्ट एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ लायर्स एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन और कॉमनवेल्थ ब्राडकास्टिंग एसोसिऐशन

संकलनकर्ताः स्वाति मेहता, सम्पादक – डैनियल वूडस, अनुवादक–शालिनी भूषण, चयनित संस्तुतियों (मार्च, 2008: सी.एच.आर.आई. – जी.पी. जोशी) पर आधारित, डिजाइन और लेआऊटः प्रिंट वर्ल्ड – 9810185402, 9953041490.

ISBN:

© सी.एच.आर.आई. नई दिल्ली, 2008
स्त्रोत की समुचित जानकारी देकर इस रिपोर्ट से सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
बी–117, प्रथम तल
सर्वोदय एन्कलेव
नई दिल्ली – 110017, भारत
टेलीः +91–11–2652–8152, 2685–0523
फैक्सः +91–11–2686–4688
E-mail: chriall@nda.vsnl.net.in

सी.एच.आर.आई., लंदन कार्यालय
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टडीज
28, रस्सेल स्क्वायर
लंदन, डब्ल्यू.सीबी 5 डी एस, यू.के.
टेलीः +44–020–7–862–8857
फैक्सः +44–020–7–862–8820
E-mail: chri@sas.ac.uk

सी.एच.आर.आई., आक्रा कार्यालय
मकान संख्या 9
समारा मशेल स्ट्रीट, असायलम
डाऊन, बेवर्ले हिल्स होटल के पीछे,
ट्रस्ट टावर के नजदीक, आक्रा,घाना
टेली/फैक्सः +00–233–21–271–170
E-mail: chriafr@africaonline.com

Website: www.humanrightsinitiative.org

विषय–सूची

प्रस्तावना..... 05

राष्ट्रीय पुलिस आयोग – चयनित संस्तुतियां..... 07

पहली रिपोर्ट..... 07

दूसरी रिपोर्ट..... 09

तीसरी रिपोर्ट..... 11

चौथी रिपोर्ट..... 13

पांचवी रिपोर्ट..... 15

छठी रिपोर्ट..... 16

सातवी रिपोर्ट..... 17

आठवी रिपोर्ट..... 19

रिबेरो कमेटी – चयनित संस्तुतियां..... 20

पहली रिपोर्ट..... 20

दूसरी रिपोर्ट..... 22

पद्मनाभैया कमेटी – चयनित संस्तुतियां..... 24

पुलिस अधिनियम प्रारूपण समिति – चयनित संस्तुतियां..... 28

उच्चतम न्यायालय के निर्देश – चयनित निर्देश..... 39

भविष्य की ओर अग्रसर – भावी पुलिस सुधार प्रक्रिया..... 43

सी.एच.आर.आई. ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी समुचित सावधानियां बरती हैं कि भारत में पुलिस सुधार संबंधी प्रत्येक आयोगों और समितियों की प्रमुख संस्तुतियों तथा प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का सही–सही सारांश इस पुस्तिका में शामिल किया जाए। तथापि सी.एच.आर.आई. किसी भी प्रकार की चूक, त्रुटि अथवा अशुद्धि की जिम्मेदारी नहीं लेती है। पाठकों से अनुरोध है कि वे कार्यालीय उपयोग के लिए मूल दस्तावेजों को ही देखें और उसी पर निर्भर करें।

प्रस्तावना

भारत की पुलिस अभी भी 1861 में पारित पुराने और उपनिवेशी कानून द्वारा शासित है। भारतीय संविधान ने पुलिस को राज्यों का विषय बनाया है अतः यह प्रत्येक राज्य का दायित्व है कि वह अपने समुदाय को एक पुलिस सेवा प्रदान करे। तथापि, आजादी के बाद अधिकतर राज्यों ने बिना कोई परिवर्तन किए 1861 अधिनियम को अपनाया जबकि अन्य राज्यों ने 1861 अधिनियम पर आधारित कानून पारित किए।

भारत में पुलिस और मूलतः पुलिस कानून में सुधार की आवश्यकता काफी पहले से महसूस की गयी है। सरकार द्वारा गठित समितियों और आयोगों ने पुलिस सुधार पर लगभग 30 वर्षों तक वाद–विवाद और चर्चा की परन्तु भारत उसी पुराने और उपनिवेशी कानून में जकड़ा रहा, जबकि रिपोर्ट पर रिपोर्ट बगैर क्रियान्वयन के सरकार की अल्मारी में धूल खाते रहे।

इस पुस्तिका में इन समितियों की कुछ चुनी गई सिफारिशों को दिया गया है जिसकी शुरूआत पुलिस व्यवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित पहली समिति राष्ट्रीय पुलिस आयोग से हुई। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने आपातकाल के बाद के अनुभव में अपनी बैठक 1979 से शुरू की तथा 1979 और 1981 के बीच एक मॉडल पुलिस अधिनियम सहित आठ रिपोर्ट प्रस्तुत की।

वर्ष 1996 को दो भूतपूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय में एक लोक हित याचिका दायर की जिसमें उन्होनें न्यायालय से सरकार को राष्ट्रीय पुलिस आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को आयोग की संस्तुतियों की पुनर्रीक्षा करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। फलस्वरूप रिबेरो समिति का गठन हुआ। समिति ने, जे.एफ. रिबेरो, भूतपूर्व पुलिस प्रमुख के नेतृत्व में 1998 और 1999 में बैठकें की और दो रिपोर्ट तैयार की।

वर्ष 2000 में सरकार ने पुलिस सुधार पर एक तीसरी समिति का गठन किया और इस बार इसका नेतृत्व एक भूतपूर्व केन्द्रीय गृह सचिव श्री के. पदम्नाभैया ने किया। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन उसी वर्ष प्रस्तुत किया।

वर्ष 2005 में सरकार ने एक नया पुलिस अधिनियम बनाने के लिए एक समूह का गठन किया। श्री सोली सोराबजी, उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के नेतृत्व वाली पुलिस प्रारूपण समिति ने वर्ष 2006 के अंत में एक आदर्श पुलिस अधिनियम केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया।

उसी समय, उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार पर काफी दिनों से चल रहे लोक हित के मामले पर निर्देश दिया। न्यायालय ने केन्द्र व राज्य सरकारों को पुलिस सुधार को लागू करने का निर्देश दिया और इस प्रक्रिया को एक स्वरूप प्रदान किया जिसके अंतर्गत सुधार प्रक्रिया शुरू की जा सके।

इस पुस्तिका में इनमें से प्रत्येक समिति की चुनी हुई संस्तुतियों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को शामिल किया गया है। दो सरकारी समितियों, जिन्हें 2001 और 2004 में गठित किया गया था तथा जिसने पुलिस से संबंधित संस्तुतियां की थी को इस पुस्तिका में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि या तो ये समितियां आपराधिक न्याय संबंधी व्यापक मुद्दों (दंड न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी मलिमथ समिति, 2001–2003) से संबंधित थी या वे पिछली समितियों (राष्ट्रीय पुलिस आयोग और अन्य आयोगों, समितियों की संस्तुतियों संबंधी पुनरीक्षा समिति, 2004–2005) की संस्तुतियों को प्राथमिकता देने तक सीमित थी।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग
1979–1981

राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एन.पी.सी.) का गठन केन्द्र सरकार द्वारा 1977 में किया गया था। इसे काफी विचारार्थ विषय सौंपे गए थे जिसमें पुलिस का संगठन, भूमिका और कर्तव्य, पुलिस–नागरिक संबंध, पुलिस के कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप, पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग और पुरुष उत्तरदायित्व और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन शामिल था। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1979 और 1981 के दौरान आठ रिपोर्ट तैयार की जिसमें उसने सुधार के लिए अनेक संस्तुतियां की। आठ रिपोर्टों में प्रत्येक रिपोर्ट की चुनी हुई संस्तुतियां नीचे दी गयी है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग
पहली रिपोर्ट –फरवरी, 1979

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की पहली रिपोर्ट से निम्नलिखित संस्तुतियों का चयन किया गया है।

1. शिकायतों की पुलिस विभाग द्वारा जांच

1.1 पुलिस विभाग को पुलिस के खिलाफ अत्यधिक संख्या में की गयी शिकायतों पर विचार करना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए। शिकायत के अधीन पुलिस अधिकारियों के रैंक के अनुसार समुचित जांच अधिकारियों की सूची नीचे तालिका में निर्धारित की गयी है।

के खिलाफ शिकायत	द्वारा जांच
हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल	पुलिस निरीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी
उप–निरीक्षक/सहायक उप–निरीक्षक	पुलिस उप–अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी
पुलिस निरीक्षक/पुलिस उप–अधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी
पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी	पुलिस उप–महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक के सीधे पर्यवेक्षण में शिकायत प्रकोष्ठ

1.2 ऐसी शिकायतों, जिसे किसी अधिकारी की जांच द्वारा नहीं निपटाया जा सकता है, के लिए प्रत्येक जिला, क्षेत्र और राज्य मुख्यालय में शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए।

1.2.1 प्रत्येक जिला में पुलिस कदाचार के ऐसे आरोपों, जिसमें साधारण जांच प्रक्रिया के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना है, की निपटान के लिए विशेष शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस उपाधीक्षक (जिला अधीक्षक के अधीन कार्यरत) के नेतृत्व में होनी चाहिए।

1.2.2 प्रत्येक क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के व्यवहार की जांच से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए शिकायत प्रकोष्ठ क्षेत्रीय उप–महानिरीक्षक के नेतृत्व में होनी चाहिए।

1.2.3 राज्य स्तर पर, एक विशेष प्रकोष्ठ होनी चाहिए जो राज्य स्तर के मुद्दों का निपटान करे। यह प्रकोष्ठ पुलिस अधीक्षक के अधीन कार्य करे और उसकी सहायता पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षक करेंगे और ये सभी पुलिस महानिरीक्षक के अधीन कार्य करेंगे।

1.3 निरीक्षक तथा वरिष्ठ अधिकारी (तथा शिकायत प्रकोष्ठ के सभी प्रभारी अधिकारी) को शिकायत रजिस्टर रखना चाहिए।

1.3.1 जिला स्तरीय शिकायत प्रकोष्ठ को रजिस्टरों के समुचित रखरखाव की निरन्तर जांच करनी चाहिए और इसे सुनिश्चित करना चाहिए कि जिले में क्षेत्र अधिकारियों द्वारा शिकायतों का शीघ्र निपटान हो।

1.3.2 क्षेत्र स्तरीय शिकायत प्रकोष्ठ को प्रत्येक जिला के प्रकोष्ठ की आकस्मिक जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि शिकायतों को समुचित रूप से रिकार्ड किया जाए और निपटाया जाए।

1.4 जांच अधिकारियों को निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए।

1.4.1 शिकायतों को विस्तार से सुना जाना चाहिए तथा जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को गवाहों को प्रस्तुत करने का दबाव दिए बगैर ऐसे सबूतों जो वह आवश्यक समझे, की जांच कर शिकायत की सच्चाई का पता लगाना चाहिए।

1.4.2 जहां तक संभव हो महत्वपूर्ण गवाहों की जांच शिकायतकर्ता की उपस्थिति में की जानी चाहिए।

1.4.3 पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान जांच अधिकारी को ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए जो शिकायतकर्ता के मन में जांच के उद्देश्यों और निष्पक्षता के प्रति संदेह पैदा करें।

1.4.4 जांच जहां तक व्यवहार्य हो शिकायतकर्ता के घर में या उसके निकट किसी समुचित सार्वजनिक भवन या स्थान में की जानी चाहिए।

1.4.5 यदि जांच अधिकारी यह रिपोर्ट करता है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर आगे कार्यवाही नहीं चाहता है तो इस मामले के तथ्य और परिस्थिति की जांच अधिकारी के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अथवा जिला शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा जांच की जानी चाहिए।

2. शिकायतों की न्यायिक जांच

2.1 पुलिस के खिलाफ निम्नलिखित श्रेणी की शिकायतों में न्यायिक जांच अनिवार्य की जानी चाहिएः–

- पुलिस हिरासत में किसी महिला का कथित बलात्कार
- पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु अथवा गंभीर चोट
- गैर–कानूनी रूप से एकत्र व्यक्तियों को हटाने में पुलिस द्वारा गोली चलाने में दो या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु

3. शिकायतों की जिला जांच प्राधिकारी द्वारा जांच

3.1 प्रत्येक जिला में एक जिला जांच प्राधिकार (डी.आई.ए.) का गठन किया जाना चाहिए। डी.आई.ए. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रैंक का होना चाहिए, जिसे उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना चाहिए।

3.2 डी.आई.ए. की सहायता के लिए एक मूल्यांकनकर्ता होना चाहिए, तथा इस कार्य के लिए अतिरिक्त अधीक्षक या वरिष्ठ उपाधीक्षक प्रत्येक जिला या जिला समूह के लिए पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नाम निर्देशित किया जाना चाहिए।

3.3 डी.आई.ए. को किसी मामले की जांच चार महीने के अंदर पूरी करनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार को विलम्ब के कारण और जांच पूरा करने की अनुमानित तारीख बतायी जानी चाहिए।

3.4 डी.आई.ए. का गवाहों को बुलाने और सबूत जुटाने की सांविधिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। डी.आई.ए. को ये शक्तियां जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत प्रदान की जानी चाहिए।

3.5 डी.आई.ए. को अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजनी चाहिए। सरकार को रिपोर्ट और रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दो महीने के अंदर प्रकाशित करनी चाहिए।

3.6 डी.आई.ए. को एक स्वतंत्र निगरानी प्राधिकरण भी होना चाहिए जो पुलिस विभागों में की गई जांच की निगरानी करे। जांच पूरा होते ही इसके परिणामों की जानकारी शिकायतकर्ता को दी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को डी.आई.ए. के समक्ष अपील का अधिकार दिया जाना चाहिए जिसे सम्बद्ध दस्तावेजों को जुटाने और अपील को निपटाने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

4. राज्य स्तर पर (राज्य सुरक्षा आयोग द्वारा) एक पुलिस शिकायत बोर्ड गठित की जानी चाहिए जो राज्य की सभी शिकायत प्रक्रिया की निगरानी करेगा। यह बोर्ड सुरक्षा आयोग की उप–समिति के रूप में कार्य करेगा।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग
दूसरी रिपोर्ट –अगस्त, 1979

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की दूसरी रिपोर्ट से निम्नलिखित संस्तुतियों का चयन किया गया है:–

1. दंड न्याय प्रणाली

1.1 पुलिस अपने कार्यों में पूरी सफलता तब तक हासिल नहीं कर सकती जब तक कि दंड न्याय प्रणाली की सभी शाखाएं एकसमान कुशलता से कार्य न करें। एक दंड न्याय आयोग गठित किया जाना चाहिए जो सभी एजेंसियों के कार्यकरण की व्यापक निगरानी करे और सुधारात्मक उपाय करे।

1.2 विद्यमान विधि आयोग भी दंड न्याय आयोग के रूप में कार्य कर सकता है। केन्द्र में ऐसी व्यवस्था के साथ–साथ राज्य स्तर पर भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

2. पुलिस की भूमिका

2.1 पुलिस की मुख्य भूमिका एक विधि प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करना है। इसकी भूमिका सरकार की इच्छाओं, संकेतों या उम्मीदों का पालन करना नहीं है बल्कि संविधान तथा कानून के अनुसार कार्य करना है। इसे पुलिस अधिनियम में स्पष्ट किया जाना चाहिए।

2.2 पुलिस की भूमिका सेवा उन्मुखी होनी चाहिए जो विषम परिस्थितियों में लोगों को राहत प्रदान करे। इसे सेवा उन्मुखी कार्य करने के लिए प्रशिक्षित और तैयार किया जाना चाहिए।

3. पुलिस कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप

3.1 विद्यमान प्रणाली में पुलिस राज्य सरकार के कार्यकारी नियंत्रण के अधीन कार्य करती है। इस देश में पुलिस पर जिस प्रकार राजनीतिक नियंत्रण किया गया है, उससे इसका काफी दुरुपयोग हुआ है, फलस्वरूप विधि सम्मत कानून में गिरावट आयी है और एक व्यवसायिक संगठन के रूप में पुलिस की विश्वसनीयता में कमी हुई है।

3.2 स्थानान्तरण या निलंबन की धमकी राजनीतिज्ञों के हाथ में एक ऐसा हथियार है जो पुलिस से उनकी इच्छा के अनुसार काम करवाती है।

3.3 राज्य सरकार का पुलिस पर अधीक्षण सिर्फ यह सुनिश्चित कराने तक सीमित होना चाहिए कि पुलिस का कार्य पूर्णतया कानून के अनुरूप हो।

3.4 पुलिस संगठन को सरकार के समग्र मार्गनिर्देश के अंतर्गत अपनी निवारक कार्यों और सेवा उन्मुखी कार्यो को निष्पादित करना चाहिए, जिसे विभिन्न परिस्थितियों में अपनाए जाने के लिए व्यापक नीतियां बनानी चाहिए। तथापि क्षेत्र में वास्तविक कार्यकरण के संबंध में कोई अनुदेश नहीं दिया जाना चाहिए।

3.5 जांच कार्य के संदर्भ में पुलिस पर कार्यपालकों या राजनीतिज्ञों में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

3.6 एक राज्य सुरक्षा आयोग गठित किया जाना चाहिए, जो राज्य सरकार को निष्पक्ष रूप से तथा विद्यमान संरचना के अंतर्गत इसके अधीक्षण कार्यों के निर्वहन में सहायता करे। कानून द्वारा, प्रत्येक राज्य में राज्य सुरक्षा आयोग गठित किया जाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित सात सदस्य होने चाहिए:–

- अध्यक्ष के रूप में पुलिस विभाग का प्रभारी मंत्री;
- राज्य विधायिका के दो सदस्य, शासक दल से एक और दूसरे विपक्षी दल से, जिन्हें राज्य विधायिका के अध्यक्ष की सलाह पर नियुक्त किया जाएगा;
- उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी सेवकों, लोकप्रिय और प्रतिष्ठित समाज शास्त्रियों और शिक्षाविदों में से अन्य चार सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएं, जिसकी स्वीकृति राज्य विधानमंडल से ली जाए।

3.7 पुलिस प्रमुख को आयोग का सचिव होना चाहिए जिसका अपना कार्यालय होना चाहिए।

3.8 राज्य सुरक्षा आयोग के निम्नलिखित कार्य होंगे:–

- पुलिस द्वारा निवारक कार्यों और सेवा उन्मुखी कार्यों के निर्वहन के लिए व्यापक नीतिगत मार्गनिर्देश और निर्देश निर्धारित करना;
- राज्य पुलिस के कार्यों का प्रतिवर्ष मूल्यांकन और राज्य विधानमंडल में इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- गैर–कानूनी आदेशों से पीड़ित तथा अपनी पदोन्नति के लिए अधिकारियों के एक अपील के मंच के रूप में कार्य करना
- पुलिस कार्यकरण की आम पुनरीक्षा

4. पुलिस प्रमुख –नियुक्ति और कार्यकाल

4.1 पुलिस प्रमुख का चयन सम्बद्ध राज्य के कैडर के तीन भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के पैनल से किया जाना चाहिए। चयन पैनल एक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:–

- अध्यक्ष के रूप में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
- केन्द्रीय गृह सचिव;
- केन्द्रीय पुलिस संगठनों के वरिष्ठतम प्रमुख;
- राज्य के मुख्य सचिव; और
- राज्य के विद्यमान पुलिस प्रमुख।

5. पुलिस प्रमुख को एक निश्चित कार्यकाल दिया जाना चाहिए। यह कार्यकाल चार वर्षों का होना चाहिए या सेवानिवृत्ति की अवधि तक जो भी पहले हो।

6. पुलिस प्रमुख को अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपने पद से हटाने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग की अनुमति ली जानी चाहिए सिवाय उस स्थिति में जब उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही, मुअत्तली सेवानिवृत्ति या प्रमुख की सहमति से पदोन्नति के फलस्वरूप हटाया गया हो।

7. स्थानान्तरण और निलंबन आदेश

7.1 पुलिस अधिकारियों को गैर कानूनी स्थानान्तरण और मुअत्तली आदेश के खिलाफ सुरक्षा दी जानी चाहिए।

7.2 पुलिस अधिनियम में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि कौन सा अधिकारी किस रैंक के अधिकारियों की मुअत्तली और स्थानान्तरण का आदेश दे सकता है।

7.3 अधिनियम में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी द्वारा पारित स्थानान्तरण के आदेश को अमान्य और अवैध घोषित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग
तीसरी रिपोर्ट – जनवरी, 1980

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट से निम्नलिखित संस्तुतियों का चयन किया गया है:–

1. पुलिस और वंचित समूह

1.1 पुलिस विभाग में राज्य स्तर पर एक विशेष जांच प्रकोष्ठ गठित की जानी चाहिए जो सिविल अधिकार सुरक्षा अधिनियम और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों के जांच की प्रगति की निगरानी करे।

1.2 जिला स्तर पर (उपमंडल अधिकारी के अधीन) एक संयुक्त प्रकोष्ठ गठित किया जाना चाहिए जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के समुदाय के सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों, विशेषकर राहत कार्यों में प्रशासनिक उपायों की कमी से संबंधित शिकायतों की जांच करे।

1.3 वंचित समूह के व्यक्तियों की एक आम शिकायत है कि पुलिस उनके प्रति दुर्व्यवहार के आरोपों पर इस आधार पर ध्यान नहीं देती कि इस प्रकार की शिकायतें असंज्ञेय होती है (अतः मैजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर इसकी जांच नहीं की जा सकती)। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 135 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि निम्नलिखित दो प्रकार के असंज्ञेय शिकायतों पर पुलिस समुचित और प्रभावकारी रूप से प्रतिक्रिया दे सके।

- वंचित समूह के व्यक्तियों का शोषण और अन्याय से सुरक्षा; तथा
- असंज्ञेय अपराध की शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही के अभाव में लोक शांति के भंग होने को रोकने से संबंधित।

1.4 एक व्यापक कानून पारित किया जाना चाहिए जिसमें भूमिहीन निर्धनों को भूमि के आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित की जाए। स्थानीय पुलिस थाना के अधिकारियों को भूमिहीनों को भूमि का कब्जा देने की प्रक्रिया से सम्बद्ध किया जाना चाहिए तथा इसका एक संक्षिप्त रिकार्ड पुलिस थाना के रिकार्ड में रखा जाना चाहिए।

2. अधिकारियों की नियुक्ति

2.1 पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति पुलिस जिला अधीक्षक की विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए।

2.2 जिला के प्रभारी पुलिस अधीक्षक का चयन और तैनाती पुलिस प्रमुख की विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए।

3. गिरफ्तारी के लिए मार्गनिर्देश

3.1 गिरफ्तारी के लिए कड़े मार्गनिर्देश बनाए जाने चाहिए और इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी के समय निम्नलिखित मार्गनिर्देशों का अवश्य अनुपालन किया जाना चाहिए।

- मामला ऐसे गंभीर अपराध से संबंधित हो जैसे कि हत्या या बलात्कार (या इसी प्रकार के अन्य अपराध) तथा आरोपी को गिरफ्तार करना अनिवार्य हो और उसकी गतिविधि पर नियंत्रण करना अनिवार्य हो ताकि डरे हुए पीड़ित में विश्वास पैदा किया जा सके;
- आरोपी के भाग जाने और कानून की प्रक्रिया से बचने की संभावना हो;
- आरोपी का व्यवहार उग्र हो और यदि उसकी गतिविधि पर नियंत्रण नहीं किया गया तो उसके और अपराध करने की संभावना हो;
- आरोपी एक आदतन अपराधी हो और यदि उसे हिरासत में न लिया जाए तो उसके उसी प्रकार के और अपराध करने की संभावना हो।

3.2 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(ग) और 2(थ) में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों की परिभाषा के आधार पर गिरफ्तारी को समाप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि असंज्ञेय मामलों में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है।

4. हथकड़ी लगाने के दिशानिर्देश

4.1 हथकड़ी का इस्तेमाल करते समय निम्नलिखित मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

- यदि व्यक्ति को बिना हथकड़ी के (उसकी उम्र, लिंग या निःशक्तता के कारण) हिरासत में रखा जा सकता है तो उसे हथकड़ी नहीं लगाया जाना चाहिए;
- जमानतीय अपराध के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों को हथकड़ी नहींलगाया जाना चाहिए (जब तक कि कोई विशेष कारण न हो जैसे कि उस व्यक्ति के भाग जाने की संभावना हो);
- अदालत में आरोपी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाया जाना चाहिए (सिवाय अदालत की अनुमति के);
- विचारधीन कैदियों तथा अन्य आरोपियों को हथकड़ी नहीं लगाया जाना चाहिए (जब तब कि समुचित कारण न हो कि वह हिंसा का इस्तेमाल करेंगे या भागने का प्रयास करेंगे। पुलिस सुरक्षा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आरोपी को भागने से रोका जा सके);
- यदि किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगायी जाती है तो संतरी राहत पुस्तिका में हथकड़ी लगाए जाने का कारण दर्ज किया जाना चाहिए;
- वृद्ध, अस्पताल में बीमार, महिला, बाल अपराधी या असैनिक कैदियों को किसी भी परिस्थिति में हथकड़ी नहीं लगाया जाना चाहिए।

5. पुलिस थाने में दैनिक खर्च

5.1 पुलिस थाने को वहां के दैनिक खर्च के लिए पर्याप्त छोटी–मोटी नकदी दी जानी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार रोकने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग
चौथी रिपोर्ट – जून, 1980

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की चौथी रिपोर्ट से निम्नलिखित संस्तुतियों का चयन किया गया है।

1. एफ. आई. आर.

1.1 अपराध से पीड़ित को थाना से कभी–कभी इस आधार पर लौटा दिया जाता है कि कथित अपराध किसी अन्य पुलिस थाना के क्षेत्राधिकार में घटित हुआ है और पीड़ित को शिकायत दर्ज कराने के लिए उसी पुलिस थाने में जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में संशोधन किया जाना चाहिए कि पुलिस थाना को अधिकार क्षेत्र पर ध्यान दिए बगैर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करनी चाहिए और आवश्यक हो तो उसे एफ.आई.आर. को सम्बन्धित थाने में हस्तांतरित करना चाहिए।

2. गवाहों की जांच

2.1 गवाहों की जांच, कथित अपराध स्थल अथवा सम्बद्ध गवाह के घर के यथासंभव निकट की जानी चाहिए।

3. गवाह का बयान

3.1 विद्यमान कानून के अंतर्गत किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति या महिला का बयान रिकार्ड करने के बाद उस पर हस्ताक्षर लेने से रोक है। वर्तमान प्रक्रिया में अधिकारी जांच के दौरान विस्तारपूर्वक गवाह का बयान दर्ज करता है। इसके स्थान पर जांच अधिकारी को गवाह की जांच के दौरान गवाह की जानकारी के अनुसार तथ्यों को दर्ज करना चाहिए। यह बयान अन्य पुरुष और अधिकारी की भाषा में होना चाहिए। बयान की एक प्रति गवाह से पावति प्राप्त करने के बाद उसे दी जानी चाहिए। इस प्रक्रिया से बयान में अनावश्यक बातों को शामिल करने पर रोक लगेगी।

4. चोरी की बरामद सम्पत्ति को वापस करना

4.1 वर्तमान प्रक्रिया में पुलिस द्वारा बरामद की गई चोरी की सम्पत्ति को अदालत को हस्तांरित किया जाता है तथा कार्यवाही के काफी बाद के चरण में इसे वैध स्वामी को वापस किया जाता है। इस बीच की अवधि के दौरान पुलिस और न्यायालय की हिरासत में विभिन्न चरणों पर असामान्य व्यवस्था के कारण सम्पत्ति को नुकसान होने का काफी खतरा होता है। विद्यमान कानून में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि जांच के दौरान भी, बरामद सामान को सुरक्षित रखने और बाद में अदालत में प्रस्तुत करने के समुचित बांड पर शीघ्र वापस किया जा सके।

5. क्षमनीय अपराध

5.1 यदि किसी विवाद के पक्षकार विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहते हैं तो पुलिस अधिकारियों को जांच चरण में भी साधारण मामलों में अपराधों को सुलझाने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। अभी यह सुविधा सिर्फ अभियोजन स्तर पर उपलब्ध है। यह परिवर्तन अदालत के कार्यभार को कम करेगा।

5.2 जबरन समझौते को रोकने के लिए सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए।

6. गिरफ्तारी की सूचना

6.1 दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि पुलिस को यह आदेश दिया जाए कि वह किसी आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना उस आरोपी व्यक्ति द्वारा समुचित रूप से नामित व्यक्ति को दे जिससे आरोपी का परिवार इस बात से चिंतित होने से बचे कि वह कहां है।

7. हिरासत में दुर्व्यवहार को कम करना

7.1 वरिष्ठ अधिकारियों को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्तियों और निरुद्ध किए गए व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार का पता लगाने के लिए पुलिस थाने का आकस्मिक दौरा करना चाहिए।

7.2 यदि गिरफ्तार व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया गया है तो किसी मैजिस्ट्रेट को गिरफ्तार व्यक्ति की जांच करनी चाहिए तथा दुर्व्यवहार की शिकायत के मामले में मैजिस्ट्रेट को गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जांच करवानी चाहिए।

7.3 जहां पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या उसे गंभीर चोट लगती है तो इस मामले में न्यायिक जांच अनिवार्य की जानी चाहिए।

7.4 पुलिस निष्पादन का मूल्यांकन मुख्यतया अपराध के आंकड़ों या सुलझाए गए मामलों की संख्या के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

7.5 प्रशिक्षण संस्थाओं को वैज्ञानिक पूछताछ तकनीक विकसित करनी चाहिए तथा प्रशिक्षुओं को प्रभावी पूछताछ अनुदेशों की जानकारी देनी चाहिए।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग
पांचवी रिपोर्ट – नवम्बर, 1980

राष्ट्रीय पुलिस आयोग के पांचवी रिपोर्ट से निम्नलिखित संस्तुतियों का चयन किया गया है।

1. पुलिस भर्ती

1.1 अधिकारियों की नियुक्ति केवल कांस्टेबल या भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में की जानी चाहिए।

1.2 पुलिस पदानुक्रम के अन्य स्तरों पर भर्ती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए।

1.3 समुचित रूप से तैयार मनोवैज्ञानिक परीक्षण को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को रक्षा मंत्रालय की सहायता से मनोवैज्ञानिक आधार पर पर परीक्षा पत्र तैयार करने चाहिए।

1.4 सभी भर्ती किए गए व्यक्तियों के कार्य, प्रवृत्ति और व्यवहार का प्रशिक्षण के दौरान निरन्तर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कम कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रशिक्षण के दौरान ही हटा दिया जाना चाहिए।

2. जिला मैजिस्ट्रेट का नियंत्रण

2.1 पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 4 कहता है कि जिला पुलिस, जिला मैजिस्ट्रेट के ''साधारण नियंत्रण और निदेश'' के अधीन है। इसकी व्याख्या इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए कि जिला मैजिस्ट्रेट को पुलिस बल के आंतरिक प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति है।

2.2 पुलिस को कानून के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, ऐसा कोई नियम या विनियम जो पुलिस को जिला मैजिस्ट्रेट के अनावश्यक रूप से अधीन करता है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए।

2.3 जब विभिन्न विभागों के बीच सहयोग की आवश्यकता हो तो जिला मैजिस्ट्रेट को एक समन्वयकारी भूमिका निभानी चाहिए और पुलिस को इस भूमिका को समझना चाहिए (उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए हैं जहां जिला मैजिस्ट्रेट एक समन्वयक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं)

3. पुलिस का व्यवहार

3.1 पुलिस नागरिक के बीच संबंध असंतोषजनक है। पुलिस संगठन की खराब छवि पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये, भ्रष्टाचार, निर्दयता और संज्ञेय अपराधों को दर्ज करने में असफलता से पैदा हुई है।

3.2 पुलिस अधिकारियों में, उनके पास सहायता के लिए आए नागरिकों के प्रति शालीनता और शिष्टाचार की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए।

3.3 कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों का नागरिकों के प्रति व्यवहार उनके साथ उनके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के व्यवहार से प्रभावित होता है। पुलिस जिस प्रकार एक दूसरे पुलिसकर्मी के साथ जिस प्रकार व्यवहार करती है, उसमें सुधार लाया जाना चाहिए।

4. अपराध पीड़ित

4.1 दंड न्याय प्रणाली अपराध पीड़ितों के प्रति कोई चिंता नहीं दर्शाती है। एक अपराध क्षति प्रतिपूर्ति अधिनियम तैयार किया जाना चाहिए।

5. पारदर्शिता

5.1 सभी पुलिस कार्यकलाप यथासंभव पारदर्शी होने चाहिए सिवाय निम्नलिखित क्षेत्रों के:

- परिचालन;
- खुफिया सूचना जो जांच की योजना बनाने और उसे पूरा करने के लिए की जाती है
- नागरिकों की गोपनीयता और
- न्यायिक आवश्यकता।

6. महिला पुलिस अधिकारी

6.1 महिला पुलिस अधिकारियों को जांच कार्य में बड़ी भूमिका दी जानी चाहिए। महिला अधिकारियों को पुलिस संगठन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए जो महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ अपराध और बाल अपराध से निपटने में विशेष भूमिका निभाए।

6.2 महिला पुलिस अधिकारियों को वे सभी कार्य करने चाहिए जो पुरुष अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। महिला अधिकारियों की, विशेषकर सहायक उप–निरीक्षक या पुलिस उप–निरीक्षक के रैंक पर, भर्ती वर्तमान की तुलना में अधिक संख्या में की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग
छठी रिपोर्ट – मार्च, 1981

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की छठी रिपोर्ट से निम्नलिखित संस्तुतियों का चयन किया गया है।

1. वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति

1.1 पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक के रैंक पर पदोन्नति से पहले भारतीय पुलिस सेवा के सभी अधिकारियों को एक पदोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम, जिसके पश्चात् एक परीक्षा और वस्तुपरक चयन प्रक्रिया में शामिल होने की आवश्यकता है।

1.2 कोई अधिकारी जो उप महानिरीक्षक या महानिरीक्षक के रूप में उतीर्ण होने में तीन बार असफल होता है उसे सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए।

2. केन्द्रीय भारत पुलिस सेवा संवर्ग का सृजन

2.1 दो केन्द्रीय भारत पुलिस सेवा संवर्ग का गठन किया जाना चाहिए – एक अर्द्ध सैनिक बलों के लिए और दूसरा खुफिया विभाग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अनुसंधान तथा विश्लेषण शाखा के लिए।

3. प्रमुख शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली

3.1 बड़े शहरी क्षेत्रों में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी तेजी से गिरावट आती है जिसके लिए पुलिस की तीव्र और प्रभावी परिचालन प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। यह तभी संभव होता है जब पुलिस निर्णय लेने और उसे क्रियान्वित करने के दोहरे मूल कार्यों को करने के लिए संगठित रहती है। वैसे शहरों में जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है (या जहां तीव्र शहरीकरण या औद्यगिकीकरण हुआ है) पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

4. सांप्रदायिक दंगे

4.1 सांप्रदायिक दंगों के दौरान किए गए गंभीर अपराध की जांच करने के लिए राज्य अपराध जांच विभाग के अधीन विशेष जांच दल गठित किया जाना चाहिए। इस दल में ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए।

4.2 सांप्रदायिक दंगों की गहन जांच की जानी चाहिए और दंगे के दौरान किए अपराधों की जाँच शीघ्र की जानी चाहिए।

4.3 राज्य सरकार को साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित आरोप वापस नहीं लेने चाहिए। यह दावा करना कि यह नीति साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देती है, भ्रामक है और इसे हतोत्साहित करना चाहिए।

5. आरक्षण

5.1 सामुदायिक संतुलन बनाने के लिए अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण को कानून नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह पुलिस संगठन में जाति और समुदाय के आधार पर विभाजन करेगा तथा यह इस अवधारणा के विरुद्ध भी है कि पुलिस संगठन को जाति और धर्म से ऊपर होनी चाहिए और इसे कानून व्यवस्था के एक एजेंट के रूप में निष्पक्ष कार्य करना चाहिए।

5.2 पुलिस की संरचना में समुदाय का मिला–जुला स्वरूप झलकना चाहिए जो समाज में विद्यमान है ताकि यह समाज के विभिन्न वर्गों का विश्वास हासिल कर सके।

6. जांच और कानून व्यवस्था को अलग–अलग करना

6.1 शहरी क्षेत्रों में पुलिस थाना स्तर पर जांच कर्मचारियों को कानून व्यवस्था कर्मचारियों से अलग किया जाना चाहिए।

6.2 जांच और कानून व्यवस्था कर्मचारियों का विभाजन बिलकुल अलग नहीं होना चाहिए और पुलिस थाने के सभी कर्मचारियों को थाना इंचार्ज को रिपोर्ट करना चाहिए।

6.3 वरिष्ठ अधिकारियों (थाना इंचार्ज से अधिक वरिष्ठ) को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कानून व्यवस्था और जांच दोनों कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। पुलिस थाना स्तर पर थाना इंचार्ज के पास थाने के पुलिस व्यवस्था संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

6.4 जांच कार्य का राजपत्रित अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए चाहे सम्बद्ध थाना किसी भी जगह स्थित हो। बड़े शहरों में पर्यवेक्षण रैंक के अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और अधिक से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा ली जा सकती है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग
सातवी रिपोर्ट – मई, 1981

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सातवी रिपोर्ट से निम्नलिखित संस्तुतियों का चयन किया गया है।

1. पुलिस थानों के लिए मानदंड

1.1 ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस थाने का क्षेत्र अधिकार 150 कि.मी. से अधिक नहीं होना चाहिए।

1.2 शहरी क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार निर्धारित करते समय जनसंख्या सघनता पर प्रमुख रूप से विचार किया जाना चाहिए।

1.3 किसी पुलिस थाना के क्षेत्र की जनसंख्या 60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि थाने में प्रतिवर्ष 700 से अधिक अपराध दर्ज किए जाते हैं तो एक और पुलिस थाना स्थापित किया जाना चाहिए।

1.4 शहरी क्षेत्रों का पुलिस थाना जिसमें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रतिवर्ष 900 से अधिक संज्ञेय अपराध निपटाए जाते हैं, में थाना अधिकारी के रूप में पुलिस उप–अधीक्षक या सहायक अधीक्षक की तैनाती की जानी चाहिए। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रतिवर्ष 300 मामलों की जांच करने वाले पुलिस थानों का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक के अधीन होना चाहिए। तीसरी श्रेणी के छोटे पुलिस थाने उप–निरीक्षक के नेतृत्व में होंगे।

1.5 किसी भी जांच अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष 50 और 60 से अधिक मामलों की जांच नहीं की जानी चाहिए।

2. पुलिस पदक्रम

2.1 पुलिस पदक्रम में मध्य स्तर पर अधिकारियों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए (सहायक उप–निरीक्षक, उप–निरीक्षक तथा निरीक्षक)

2.2 कनिष्ठ अधिकारियों (कांस्टेबल) की संख्या कम की जानी चाहिए। इससे जांच अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी और कनिष्ठ अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर भी बढ़ेंगे।

3. आंतरिक प्रबन्धन

3.1 प्रत्येक पुलिस संगठन का आंतरिक प्रबंधन पुलिस प्रमुख की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कार्मिक, वित्त तथा मौलिक संरचना संबंधी प्रबंधन में पुलिस प्रमुख की शक्तियों में वृद्धि की जानी चाहिए।

4. राज्य सशस्त्र बटालियन

4.1 राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों के संगठन, अधिकारी पैटर्न प्रशिक्षण, अनुशासन और कार्यकुशलता में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्रीय कानून होना चाहिए।

5. एक केन्द्रीय पुलिस समिति की स्थापना

5.1 पुलिस को सलाह देने और उस पर निगरानी रखने के लिए एक केन्द्रीय पुलिस समिति बनानी चाहिए। केन्द्रीय पुलिस संगठन निम्नलिखित मामलों में केन्द्रीय सरकार और राज्य सुरक्षा आयोग को सलाह देगाः

- पुलिस संगठन और पुलिस सुधार;
- राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए उन्हें केन्द्रीय अनुदान और ऋण; तथा
- राज्य पुलिस बलों को बजटीय आवंटन।

5.2 समिति राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था का आमतौर पर मूल्यांकन भी कर सकती है।

6. एक अखिल भारत पुलिस संस्था की स्थापना

6.1 एक अखिल भारत पुलिस संस्था गठित की जानी चाहिए। यह संस्था पुलिस के लिए व्यावसायिक संस्था होगी और केन्द्रीय पुलिस समिति के अधीन कार्य करेगी।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग
आठवी रिपोर्ट – मई, 1981

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की आठवी रिपोर्ट से निम्नलिखित संस्तुतियों का चयन किया गया है।

1. कार्य निष्पादन का दायित्व

1.1 प्रत्येक पुलिस बल के कार्य निष्पादन की निरन्तर निगरानी की जानी चाहिए। पुलिस के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए राज्य सुरक्षा आयोग के पास एक स्वतंत्र प्रकोष्ठ होना चाहिए।

1.2 राज्य सुरक्षा आयोग अपने राज्य में पुलिस संगठन के कार्य निष्पादन पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जाएगी। यह रिपोर्ट पुलिस प्रमुख के वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट और केन्द्रीय पुलिस समिति के मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित होगी।

1.3 पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत तथा एक संगठन दोनों के रूप में नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व की अवधारणा के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए।

2. अभियोजन से सुरक्षा को वापस लेना

2.1 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 132 और 197 के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध सुरक्षा, जो विभिन्न श्रेणियों के लोक सेवकों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी भी कृत्य के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, को वापस लिया जाना चाहिए।

2.2 किसी भी पुलिस अधिकारी जिस पर मुकदमा चलाया जा हो रहा है, के बचाव के लिए राज्य को भुगतान करना चाहिए।

3. पुलिस अधिनियम को प्रतिस्थापित करें

3.1 वर्तमान पुलिस अधिनियम को बदलना चाहिए। नए कानून में पुलिस अधीक्षण और नियंत्रण प्रणाली में परिवर्तन लाना चाहिए और पुलिस को विधि सम्मत कानून को बढ़ावा देने और समुदाय की निष्पक्ष सेवा करने का अधिकार सौंपा जाना चाहिए।

रिबेरो कमेटी
1998 – 1999

वर्ष 1996 में दो भूतपूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (याचिकादाता) ने उच्चतम न्यायालय में एक लोक हित का मामला दर्ज किया जिसमें उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह भारत सरकार को राष्ट्रीय पुलिस आयोग की संस्तुतियों को लागू करने का निर्देश दें। भारत सरकार ने न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में मई, 1998 में रिबेरो कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के विचारणीय विषय थे राष्ट्रीय पुलिस आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और वोहरा कमेटी की संस्तुतियों को लागू करने के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा करना, लंबित संस्तुतियों के क्रियान्वयन के तरीकों के संबंध में सुझाव देना और ऐसी अन्य संस्तुतियां देना जो न्यायालय की राय में जरूरी हों।
याचिकादाताओं के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय ने कमेटी को राष्ट्रीय पुलिस आयोग की संस्तुतियों को क्रियान्वित करने के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सुरक्षा आयोग (अथवा पुलिस प्राधिकरण) पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया (पारदर्शिता, योग्यता पर पदोन्नति और कार्यकाल पर केन्द्रित) तथा पुलिस की जांच और कानून व्यवस्था कार्यों को अलग करने संबंधी संस्तुतियों के बारे में विशेष रूप से पूछा।

कमेटी ने दो रिपोर्ट जारी की। अक्तूबर, 1998 में जारी पहली रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय के विशेष मुद्दों से संबंधित है। दूसरी रिपोर्ट, जो अधिक सामान्य रिपोर्ट थी, मार्च, 1999 में जारी की गई।

रिबेरो कमेटी – पहली रिपोर्ट – अक्तूबर, 1998

रिबेरो कमेटी की पहली रिपोर्ट से निम्नलिखित संस्तुतियों का चयन किया गया है।

1. पुलिस कार्य निष्पादन तथा उत्तरदायित्व आयोग

1.1 प्रत्येक राज्य में एक राज्य सुरक्षा आयोग, जैसा की राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने सिफारिश की है (देखिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग दूसरी रिपोर्ट, भाग 3.6), गठित किया जाना चाहिए। इसे पुलिस कार्य निष्पादन तथा उत्तरदायित्व आयोग कहा जाना चाहिए।

1.2 आयोग की बैठक पुलिस उप महानिदेशक द्वारा आयोजित की जानी चाहिए, जिसे इसका सचिव भी होना चाहिए। आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल किये जाने चाहिए:
- सभापति के रूप में पुलिस के प्रभारी मंत्री;
- विपक्ष के नेता;
- राज्य के मुख्य सचिव;
- राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश; और
- योग्य और ईमानदार तीन गैर राजनीतिक। इन तीन नागरिकों का चयन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सभापति द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाना चाहिए।

1.3 आयोग के चार गैर–राजनीतिक सदस्यों, मुख्य सचिव को छोड़कर, का कार्यकाल तीन वर्षों का होना चाहिए।

1.4 आयोग की शक्तियां परामर्शदात्री और संस्तुतिकारी होनी चाहिए।

1.5 आयोग को पुलिस के कार्य निष्पादन और उत्तरदायित्व की जांच करनी चाहिए। इसके कार्य उसी स्वरूप के होने चाहिए जैसा कि आयोग ने राष्ट्रीय पुलिस अयोग की दूसरी रिपोर्ट में संस्तुत किया था। आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए यह भी शक्ति प्रदान की जानी चाहिए कि आयोग की स्वीकृति के बगैर वरिष्ठ अधिकारियों (अधीक्षक के ऊपर रैंक के अधिकारी) का समय पूर्व स्थानान्तरण न हो तथा सभी स्थानान्तरण वैध हों।

2. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण

2.1 प्रत्येक जिला में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। इस प्राधिकरण में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश जिला क्लेक्टर और जिला अधीक्षक शामिल होंगे।

2.2 इस निकाय का गठन संविधि द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इस प्राधिकरण को नागरिकों द्वारा पुलिस अत्याचार, मनमानी, गिरफ्तारी, नजरबंदी, झूठे अपराधिक मामलों में फंसाने या हिरासत में हिंसा से संबंधित शिकायतों की जांच करनी चाहिए। तत्पश्चात् प्राधिकरण को पुलिस कार्य निष्पादन तथा उत्तरदायित्व आयोग तथा सरकार और राज्य अथवा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को समुचित सिफारिश करनी चाहिए।

3. पुलिस स्थापना बोर्ड

3.1 प्रत्येक राज्य में एक पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। इस बोर्ड में पुलिस महानिदेशक तथा अन्य चार वरिष्ठतम अधिकारी शामिल किए जायेंगे।

3.2 विद्यमान नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि बोर्ड को पुलिस संगठन के सभी स्थानांतरों, पदोन्नतियों और दंडों तथा सेवा से संबंधित मुद्दों की निगरानी करने का अधिकार प्राप्त हो।

4. स्थानान्तरण, कार्यकाल, पदोन्नति, पुरस्कार तथा दंड संबंधी सरकारी नियम

4.1 सरकार को स्थानान्तरण, कार्यकाल, पदोन्नति, पुरस्कार तथा दंड संबंधी नियम तथा इन नियमों को लागू करने के लिए पुलिस प्राधिकरण बनाने चाहिए। इन नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामलों को पुलिस कार्य निष्पादन तथा उत्तरदायित्व आयोग के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

5. पुलिस महानिदेशक का चयन

5.1 पुलिस महानिदेशक का चयन, चयन आयोग द्वारा सुझाए तीन नामों के पैनल में से मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना चाहिए। चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:–

- सभापति के रूप में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष;
- केन्द्रीय गृह सचिव ;
- खुफिया ब्यूरो के निदेशक;
- राज्य के मुख्य सचिव; और
- राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक।

5.2 चयन समिति पैनल बनाने से पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श कर सकती है।

5.3 पुलिस महानिदेशक का तीन वर्ष का निर्धारित कार्यकाल होना चाहिए। उसे अपने कार्यकाल के दौरान पुलिस कार्य निष्पादन तथा उत्तरदायित्व आयोग की सिफारिश अथवा किसी विशेष कारण पर सरकार को लिखित जानकारी प्रदान करने के बाद ही हटाया जाना चाहिए।

6. जांच

6.1 यदि पुलिस महानिदेशक का चयन रिबेरो समिति की संस्तुतियों के अनुसार किया जाता है तथा उसे एक निश्चित कार्यकाल दिया जाता है तो पुलिस की जांच शाखा अनावश्यक दबाव से मुक्त हो जाएगी। यदि पुलिस कार्य निष्पादन तथा उत्तरदायित्व आयोग, पुलिस की निगरानी करने के अपने कृत्यों का निर्वहन करता है और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है तो जांच शाखा को अनावश्यक दबाव से भी बचाया जा सकता है।

6.2 सभी जांच अधिकारियों को जांच के वैज्ञानिक तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जांच अधिकारियों को कानून व्यवस्था कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए सिवाय ग्रामीण पुलिस थाना के जहां जांच और विधि व्यवस्था कार्य को अलग करना संभव नहीं है।

6.3 जांच कार्य आवंटित किए पुलिस अधिकारियों का कानून व्यवस्था कार्य में तब तक स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे कम–से–कम पांच वर्ष तक वहां कार्य नहीं कर लेते हैं।

रिबेरो कमेटी
दूसरी रिपोर्ट – मार्च, 1999

रिबेरो कमेटी की दूसरी रिपोर्ट से निम्नलिखित संस्तुतियों का चयन किया गया है।

1. पुलिस अधिनियम को प्रतिस्थापित करे

1.1 1861 के पुलिस अधिनियम को निरस्त करके उसकी जगह एक नए पुलिस कानून को बनाने की आवश्यकता है।

2. केंन्द्रीय तंत्र

2.1 राष्ट्रीय पुलिस आयोग की इस संस्तुति को कि केन्द्रीय स्तर पर एक राज्य सुरक्षा आयोग होना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के गठन के संबंध में पहले ही निर्देश दे दिया है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की संस्तुतियों में शामिल अन्य संगठन केन्द्रीय पुलिस ब्यूरो के अंतर्गत नहीं होने चाहिए। (इंटेलिजेंस ब्यूरो एक खुफिया संगठन है तथा सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्द्ध सैनिक समूह है और इनमें से कोई भी संगठन स्थानीय राजनीति अथवा राजनीतिज्ञों से सम्बद्ध नहीं है)

2.2 केन्द्रीय पुलिस समिति को केन्द्रीय सरकार को सलाह देनी चाहिए तथा राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जैसा कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग में कहा गया है।

3. जांच

3.1 जांच कार्य को कानून व्यवस्था कार्य से अलग करने की विधि आयोग की संस्तुति को तत्काल लागू किया जाना चाहिए।

4. भर्ती

4.1 कांस्टेबलों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा कल्याण के बारे में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की संस्तुतियों को लागू किया जाना चाहिए।

4.2 कांस्टेबल के रूप में भर्ती की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होनी चाहिए।

4.3 प्रत्येक राज्य को एक स्वतंत्र पुलिस भर्ती बोर्ड स्थापित करनी चाहिए। बोर्ड सभी अराजपत्रित रैंक के अधिकारियों का चयन करेगा।

5. पदोन्नति

5.1 राष्ट्रीय पुलिस आयोग की इस संस्तुति को लागू किया जाना चाहिए कि पुलिस के पदक्रमों का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें कनिष्ठ अधिकारियों की संख्या कम हो तथा मध्य स्तर के अधिकारियों की संख्या अधिक हो।

6. प्रशिक्षण

6.1 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में अवश्य सुधार होना चाहिए ताकि पुलिस के कार्य निष्पादन और व्यवहार में सुधार हो।

पद्मनाभैया कमेटी, 2000

वर्ष 2000 में केन्द्र सरकार ने पुलिस सुधार पर ध्यान दिए जाने के लिए एक और कमेटी का गठन किया, जिसे आमतौर पर पुलिस सुधार संबंधी पद्मनाभैया कमेटी के नाम से जाना जाता है। कमेटी ने अगस्त, 2000 में अपनी रिपोर्ट दी।

कमेटी के विचाराधीन विषय काफी व्यापक थे तथा कमेटी से यह अपेक्षा की गयी थी कि वह उन चुनौतियों की जांच करेगी जिसका पुलिस को अगले शताब्दी में सामना करना पड़ेगा, ऐसे बल की कल्पना करना जो नागरिक अनुकूल होगा, साथ ही संगठित अपराध, आंतकवाद और उग्रवाद की समस्या का प्रभावी रूप से सामना करेगा, पुलिस को एक व्यवसायिक और सक्षम बल के रूप में बदलने का सुझाव देगा, पुलिस को राजनैतिक हस्तक्षेप से अलग रखने के तंत्र की पहचान करेगा, जन शिकायतों और पुलिस की शिकायतों का समाधान करेगा, लोगों का विश्वास और सहयोग हासिल करने के रास्ते बताएगा तथा ''संघीय अपराध'' का सामना करने और एक ''संघीय विधि प्रवर्तन एजेंसी'' के सृजन की जांच करेगा।

पद्मनाभैया कमेटी की महत्वपूर्ण संस्तुतियां इस प्रकार हैं:–

1. पुलिस कानून को प्रतिस्थापन करें

1.1 पुलिस अधिनियम, 1861 को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता है।

2. भर्ती

2.1 भर्ती में कांस्टेबल के स्थान पर उप–निरीक्षकों की भर्ती पर बल दिया जाना चाहिए। वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों के अनुपात (प्रतिवेदन में ''टीथ टू टेल रैशियो'' के रूप में उल्लिखित) को बढ़ाना तथा कांस्टेबल की भर्ती को तब तक सीमित रखना जब तक कि ''टीथ टू टेल'' अनुपात 1:4 न हो जाए। अभी विभिन्न राज्यों में यह अनुपात 1:7 से 1:15 है।

2.2 युवा आयु के कांस्टेबलों की भर्ती की जानी चाहिए। दसवीं कक्षा उत्तीर्ण और 19 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के पात्र होने चाहिए। सफल उम्मीदवारों को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा निर्णायक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए।

2.3 उप–निरीक्षक के उम्मीदवार बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा उन्हें प्रवेश परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती दी जानी चाहिए। सफल उम्मीदवारों को तीन वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा अंतिम परीक्षा पास होने के बाद ही उनकी भर्ती की जानी चाहिए। इस रैंक में 50 प्रतिशत रिक्तियों का सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत को पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए।

3. प्रशिक्षण

3.1 केन्द्रीय स्तर पर तथा प्रत्येक राज्य में एक पुलिस प्रशिक्षण सलाहकार परिषद् गठित की जानी चाहिए जो सम्बद्ध गृह मंत्री को पुलिस प्रशिक्षण के संबंध में सलाह देगा।

3.2 वर्तमान कांस्टेबलों को पुनः प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा नहीं करते हैं उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए।

4. पदोन्नति

4.1 सभी पदोन्नतियां अनिवार्य पूर्व प्रशिक्षण और पदोन्नति पूर्व परीक्षा पास होने के अध्यधीन होनी चाहिए।

5. नियुक्ति, स्थानान्तरण और निर्धारित कार्यकाल

5.1 पुलिस के कार्यकरण में गैर–कानूनी राजनैतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए कार्यकाल संबंधी नीति बनायी जानी चाहिए।

5.2 सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति चयन समिति द्वारा प्रेषित दो नामों की सूची से की जानी चाहिए। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

– सभापति के रूप में राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश;
– राज्य के मुख्य सचिव; और
– नागरिक समाज से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति।

5.3 एक पुलिस स्थापना बोर्ड गठित की जानी चाहिए जिसमें पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा चयनित पुलिस बल के तीन सदस्य शामिल होंगे और यह बोर्ड पुलिस उप–निरीक्षक तथा उससे उच्च रैंक के सभी अधिकारियों के स्थानान्तरण का अनुमोदन देगा।

5.4 सभी अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्षों का होना चाहिए।

5.5 एक समिति गठित की जानी चाहिए जो पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों से तैनाती और स्थानान्तरण के मामले में नियमों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित शिकायतों को निपटाएगा। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः–
– सभापति के रूप में मुख्य सचिव;
– गृह सचिव; तथा
– पुलिस महानिदेशक।

6. अपराध निवारण और जांच

6.1 प्रत्येक जिला में अपराध निवारण कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारियों वाली एक अपराध निवारण प्रकोष्ठ होनी चाहिए।

6.2 जांच तथा विधि व्यवस्था कार्यों को अलग–अलग किया जाना चाहिए। पहले चरण में अलग करने का यह कार्य शहरी क्षेत्रों में पुलिस थाना स्तर पर किया जाना चाहिए। अपराध और जांच कार्य की जिम्मेदारी विशेष तौर पर अपर पुलिस अधीक्षक को दी जानी चाहिए।

6.3 चुने हुए अधिकारियों (अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी) के समक्ष अपराध स्वीकारोक्ति को सबूत में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 और 26 को हटाए जाने की आवश्यकता है।

6.4 प्रत्येक पुलिस थाने में जांच संबंधी उपकरण उपलब्ध होने चाहिए तथा प्रत्येक उपखंड में एक मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए।

6.5 भारत के विधि आयोग को प्रासंगिकता के लिए अपराधों को संज्ञेय/असंज्ञेय अपराध के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए।

7. पुलिस कार्य निष्पादन

7.1 एक स्थायी राष्ट्रीय पुलिस मानदंड आयोग स्थापित किया जाना चाहिए जो विभिन्न राज्यों में पुलिस के लिए एक सामान्य मानदंड बनाए तथा यह सुनिश्चित करे कि इन मानदंडों को लागू करने के लिए राज्य सरकार तंत्र गठित करे।

7.2 एक स्वतंत्र पुलिस निरीक्षालय गठित की जानी चाहिए जो पुलिस संगठन की निगरानी करे और पुलिस कार्यकरण पर सरकार को रिपोर्ट दे।

7.3 पुलिस व्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

8. पुलिस उत्तरदायित्व

8.1 एक जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित किया जाना चाहिए। इस प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल किए जाने चाहिएः–
– सभापति के रूप में जिला मैजिस्ट्रेट;
– एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश;
– जिला पुलिस अधीक्षक; और
– जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित नागरिक।

8.2 पुलिस के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों की स्वयं पुलिस विभाग को जांच करनी चाहिए। वैसे शिकायतकर्ता जो

आंतरिक प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, को जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण को शिकायत करनी चाहिए।

8.3 यदि शिकायत किसी महिला के बलात्कार अथवा हिरासत में मौत से संबंधित हो, तो न्यायिक जांच अनिवार्य की जानी चाहिए।

8.4 पुलिस आचार संहिता लागू की जानी चाहिए तथा भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के लिए साधारण तथा अधिक प्रभावकारी प्रक्रिया बनायी जानी चाहिए।

9. संसाधन

9.1 राज्य सरकार को पुलिस को संसाधनों के आवंटन पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

9.2 पुलिस संगठन के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित केन्द्रीय कोष को तभी जारी किया जाना चाहिए जब राज्य सरकार ने मूल संरचनात्मक मानदंडों को पूरा किया हो जैसे मानव संसाधन और कैरियर प्लानिंग सिस्टम तैयार करना, पारदर्शी भर्ती प्रणाली, पदोन्नति और स्थानान्तरण सुनिश्चित करना और न्यूनतम प्रशिक्षण मानदंडों को पूरा करना, आदि।

10. विशेष अपराध

10.1 चिन्हित पुलिस संस्थानों की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए। ये चिन्हित पुलिस संस्था हैं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (प्रशिक्षण), केन्द्रीय जांच ब्यूरो (जांच), इंटैलिजेंस ब्यूरो (निगरानी) तथा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (साइबर टेक्नोलॉजी और विधि विज्ञान)

10.2 विशेष अपराध जिसके अंतरराज्यीय, राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय पहलू हैं को संघीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए और इसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विशेष अपराध प्रभाग द्वारा की जानी चाहिए, जिसे गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करना चाहिए।

10.3 आतंकवाद संबंधित अपराधों के सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के मानदंड़ों की समीक्षा की जानी चाहिए। आंतकी अपराधों पर ध्यान देने के लिए एक व्यापक कानून अधिनियमित किया जाना चाहिए।

10.4 एक राष्ट्रीय आंतकवाद विरोधी समन्वयक होना चाहिए जो सम्पूर्ण भारत के लिए आंतक विरोधी योजना और बजट तैयार करेगा।

11. प्रकीर्ण

11.1 कांस्टेबल को एक कुशल कर्मकार के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

11.2 पुलिस कार्य में शिफ्ट व्यवस्था होने के कारण पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक वर्ष अर्जित अवकाश पर भेजा जाना चाहिए। पुलिस कर्मियों के लिए होलीडे होम बनाया जाना चाहिए।

11.3 वी.आई.पी. सुरक्षा की समीक्षा की जानी चाहिए और इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए।

11.4 सामुदायिक पुलिस व्यवस्था अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को सामुदायिक पुलिस व्यवस्था संबंधी पुस्तिका तैयार करनी चाहिए, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था पर प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए और प्रमुख सामुदायिक पुलिस व्यवस्था परियोजना को वित्त प्रदान किया जाना चाहिए।

11.5 दंड न्याय प्रणाली के प्रशासन की समीक्षा की जानी चाहिए और उसमें व्यापक सुधार किया जाना चाहिए।

पुलिस अधिनियम प्रारूपण कमेटी
2005–2006

वर्ष 2005 में भारत सरकार ने एक और कमेटी का गठन किया जिसका नाम पुलिस अधिनियम प्रारूपण कमेटी था और जिसके अध्यक्ष सोली सोराबजी थे। कमेटी ने सितम्बर, 2005 ने अपनी बैठक शुरू की और अक्तूबर, 2006 में केन्द्रीय सरकार को एक मॉडल पुलिस अधिनियम सौंपा।

कमेटी के विचारणीय विषय, पुलिस की बदलती भूमिका और दायित्वों तथा भारत में बढ़ते उग्रवाद, आंतकवाद और नक्सलवाद के कारण उसकी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक नया पुलिस अधिनियम तैयार करना था। विचारणीय विषय के अनुसार नए पुलिस अधिनियम में पुलिस की प्रवृत्ति में बदलाव के उपायों (पुलिस व्यवस्था में समुदाय को शामिल करने के तरीकों सहित) को शामिल करना तथा आधुनिक पुलिस सेवा से समुदाय की अपेक्षाओं को प्रदर्शित करना था। कानून बनाते समय कमेटी से पुलिस व्यवस्था के विधि विज्ञान प्रणाली पर भी विचार करने की अपेक्षा थी। विचारणीय विषय में यह भी आदेश दिया गया कि नया पुलिस अधिनियम मानव अधिकार महिलाओं की समस्या तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की समस्याओं पर भी ध्यान दे।

कमेटी द्वारा तैयार मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 की प्रस्तावना में पुलिस व्यवस्था की इसकी कल्पना झलकती है।

प्रस्तावना

यह कि नागरिकों के मानव अधिकारों का सम्मान और संवर्धन और उनके नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा विधि सम्मत् कानून का प्राथमिक कर्तव्य है;
और यह कि निष्पक्ष और कुशल पुलिस सेवा प्रदान करने के साथ अल्पसंख्यकों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा करना तथा नागरिकों की लोकतांत्रिक अपेक्षाओं के प्रति अनुक्रियाशील होना राज्य का संवैधानिक दायित्व है;

और यह कि पुलिस कर्मियों के ये कार्य व्यावसायिक रूप से संगठित, सेवा उन्मुखी, बाहरी प्रभावों से मुक्त और विधि के प्रति जवाबदेह होने चाहिए;

और यह कि पुलिस व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों, सुशासन की आवश्यकता और मानव अधिकारों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए पुलिस की भूमिका, इसके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है;

और यह कि पुलिस का समुचित सशक्तिकरण अनिवार्य है ताकि वह एक कुशल, प्रभावी, जन–अनुकूल और अनुक्रियाशील एजेंसी के रूप में कार्य कर सकें;

अब, अतएव चूंकि इस प्रयोजन के लिए पुलिस सेवा की स्थापना और प्रबंधन से एक नई विधि को अधिनियमित करना अनिवार्य है, यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित है।
मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 के कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपबंधों को यहां उद्धृत किया गया है:–

1. पुलिस का नियंत्रण और पर्यवेक्षण

1.1 पुलिस का अधीक्षण सम्बद्ध राज्य सरकार में निहित होगा। राज्य सरकार को एक कुशल, प्रभावी, अनुक्रियाशील और उत्तरदायी सेवा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

1.2 यह अधीक्षण ''पुलिस की व्यावसायिक कुशलता'' का संवर्धन करने और यह सुनिश्चित करने कि ''(पुलिस) कार्य निष्पादन सदैव विधि के अनुरूप हो'' तक ही सीमित रहेगा। इसे नीतियां और मार्गनिर्देश बनाकर पुलिस व्यवस्था के लिए मानदंड निर्धारित कर तथा मानदंड के क्रियान्वयन को सुगम बनाकर तथा यह सुनिश्चित कर प्राप्त किया जाएगा कि पुलिस सेवा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और उसे कार्यात्मक स्वायत्तता मिले।

1.3 पुलिस का प्रशासन पुलिस महानिदेशक में निहित होगा। सरकार विहित नियमों के अनुसरण के अलावा या आपराधिक परिस्थितियों को छोड़कर (जिसमें कारण को दर्ज किया जाना चाहिए) महानिदेशक की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। प्रशासन की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल होंगेः–

– सभी स्तर पर पुलिस के कार्यकरण का निरीक्षण;
– अधीनस्थ रैंकों पर नियुक्ति (पुलिस उप–अधीक्षक से नीचे रैंक के सभी अधिकारी);
– तैनाती;
– पुलिस निरीक्षक के रैंक सहित उस रैंक तक के सभी अधिकारियों का स्थानान्तरण और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही; तथा
– पुलिस सहायक/उप–अधीक्षक रैंक के तथा उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों के स्थापन के संबंध में सरकार को सलाह देना।

2. राज्य पुलिस बोर्ड

2.1 राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार राज्य सुरक्षा आयोग अवश्य गठित किया जाना चाहिए तथा उसे राज्य पुलिस बोर्ड का नाम दिया जाए।

2.2 कानून द्वारा राज्य पुलिस बोर्ड का गठन किया जाए। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः–

– सभापति के रूप में गृह मंत्री;
– राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता;
– राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश;
– राज्य के मुख्य सचिव ;
– राज्य के गृह सचिव;
– सदस्य सचिव के रूप में पुलिस महानिदेशक; और
– शिक्षा, विधि, लोक प्रशासन, मीडिया अथवा गैर–सरकारी संगठन के क्षेत्र से प्रमाणित सत्यनिष्ठा और योग्यता वाले पांच गैर–राजनीतिक व्यक्ति।

2.3 पांच गैर राजनीतिक सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति द्वारा की जाएगी। गैर–राजनीतिक व्यक्तियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चयन पैनल में निम्नलिखित शामिल होंगेः–

– राज्य के उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित राज्य के उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश;
– राज्य लोक सेवा आयोग के सभापति; और
– राज्य मानव अधिकार आयोग के सभापति या उनके न होने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सभापति द्वारा नामित व्यक्ति।

2.4 बोर्ड निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगाः–

– कार्यकुशल, प्रभावी, अनुक्रियाशील और उत्तरदायी पुलिस प्रणाली के लिए व्यापक नीतिगत मार्गनिर्देश तैयार करना;
– पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए तीन वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों का चयन और पैनल तैयार करना (वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर कृपया नीचे बिन्दु संख्या 3 देखें);
– पुलिस मूल्यांकन के लिए कार्य निष्पादन सूचकांकों की पहचान करना; और
– संगठनात्मक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना।

3. पुलिस महानिदेशक का चयन

3.1 पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा चयनित तीन अति वरिष्ठ अधिकारियों में से सरकार द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाएगाः–

– सेवा अवधि तथा स्वास्थ्य अनुरूपता;

– कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट (पिछले 15 वर्षों का);
– अधिकारी की केन्द्रीय पुलिस संगठनों में कार्य अनुभव सहित सम्बद्ध अनुभव की अवधि तथा लिया गया प्रशिक्षण;
– किसी आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही पर दंड अथवा भ्रष्टाचार या नैतिक अधःपतन के मामले में न्यायालय द्वारा अधिकारी के खिलाफ क्या कोई आरोप लगाया गया है; और
– बहादुरी अथवा विशिष्ट और योग्य सेवा के लिए कोई पुरस्कार।

4. कार्यकाल की सुरक्षा

4.1 सभी अधिकारियों को विशेष पद पर न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल दिया जाना चाहिए ताकि वे किसी गैर–कानूनी हस्तक्षेप के बगैर अपना कार्य पूरा कर सकें। किसी विशेष रैंक (या किसी विशेष पद) के अधिकारियों का स्थानान्तरण करने का अधिकार प्राप्त अधिकारी दो वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पहले स्थानान्तरण कर सकता है परन्तु ऐसा वह कारण लिखित रूप से दर्ज करने के बाद ही कर सकता है।

4.2 पुलिस महानिदेशक का दो वर्षो का न्यूनतम कार्यकाल होगा चाहे उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो (विशेष आयु पर सेवानिवृत्ति) अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व महानिदेशक को तभी हटाया जा सकता है यदि वहः–
– किसी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है या भ्रष्टाचार या नैतिक अधःपतन से संबंधित किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोपित है;
– समुचित अनुशासनात्मक नियमों के अंतर्गत मुअत्तल किया जाता है या दंडित किया जाता है;
– शारीरिक अथवा मानसिक रुग्णता के कारण अक्षम हो जाता है; या
– उच्च पद पर पदोन्नत होता है (परन्तु केवल उसकी सहमति पर)

4.3 पुलिस थाना अधिकारी किसी प्रखंड के पुलिस सर्किल का प्रभावी अधिकारी और प्रत्येक जिला के पुलिस अधीक्षक का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्षों का और अधिकतम 3 वर्षों का होगा। ये अधिकारी अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाए जा सकते हैं यदि वहः–
– वरिष्ठ रैंक पर पदोन्नत होता है;
– किसी न्यायालय द्वारा आरोपित किया जाता है अथवा किसी दांडिक अपराध का दोषी पाया जाता है;
– समुचित अनुशासनात्मक नियमों के अंतर्गत मुअत्तल किया जाता है या दंडित किया जाता है;
– शारीरिक अथवा मानसिक रुग्णता के कारण अक्षम हो जाता है; या
– किसी अधिकारी की पदोन्नति, स्थानान्तरण या सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चयनित होता है।

निम्न आपराधिक परिस्थितियों में भी इन अधिकारियों को हटाया जा सकता हैः–
– अत्यधिक अकुशलता और लापरवाही के लिए; अथवा
– अधिकारी के व्यवहार की प्राथमिक जांच पर प्रथम दृष्टि में यह गंभीर स्वरूप का मामला स्थापित होता है।

यदि कोई अधिकारी विशेष परिस्थितियों में हटाया जाता है तोः–
– हटाने वाला अधिकारी अगले उच्च अधिकारी को तथा पुलिस महानिदेशक को इस अधिकारी को हटाने का कारण बताएगा (लिखित रूप में); और
– हटाया गया अधिकारी स्थापना समिति (इस संबंध में आगे बताया गया है) को अपील कर सकता है जो मामले पर विचार करेगा और हटाने वाले अधिकारी को संस्तुति देगा।

5. स्थानान्तरण

5.1 रैंक अथवा पद के अनुसार स्थानान्तरण की शक्ति विभिन्न अधिकारियों को दी जाती है। विधि में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण पर प्रतिबंध है।

5.2 सरकार सहायक/उप अधीक्षक तथा उससे ऊपर रैंक के सभी पदों पर अधिकारियों की तैनाती करेगी। प्रत्येक मामले में (पुलिस महानिदेशक को छोड़कर) सरकार, पुलिस स्थापना समिति जो पुलिस महानिदेशक तथा चार अन्य अति वरिष्ठ अधिकारियों से गठित होगी, की सिफारिशों से मार्गदर्शित होगी। सरकार को इन सिफारिशों को अवश्य स्वीकार करनी चाहिए या असहमति के कारणों को लिखित में रिकार्ड करनी चाहिए।

5.3 पुलिस महानिदेशक पुलिस स्थापना समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् उप–निरीक्षक तथा निरीक्षक पद के अधिकारियों का किसी पुलिस रेंज में प्रारंभिक स्थानान्तरण और इन अधिकारियों का एक से दूसरे रेंज में स्थानान्तरण पर निर्णय ले सकते हैं।

5.4 रेंज उप महा–निरीक्षक, रेंज के सभी जिला पुलिस अधीक्षक से गठित एक समिति की सिफारिश पर, निरीक्षक तथा इससे कनिष्ठ रैंक के अधिकारियों का रेंज के अन्दर अंतर–जिला स्थानान्तरण पर निर्णय ले सकते हैं।

5.5 जिला पुलिस अधीक्षक, जिला के अपर, उप और सहायक पुलिस अधीक्षक से गठित समिति की सिफारिशों पर निरीक्षकों तथा उससे कनिष्ठ अधिकारियों का जिला के अंदर स्थानान्तरण पर निर्णय ले सकते हैं।

6. वैसे अधिकारियों की शिकायतें जिन्हें गैर कानूनी आदेश दिए गए

6.1 पुलिस स्थापना समिति वैसे अधिकारियों की शिकायतों पर विचार करेगी जिन्हें गैर–कानूनी आदेश दिए गए हैं तथा पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में सिफारिशें करेगी।

6.2 यदि शिकायत ऐसे प्राधिकारी के खिलाफ है जो स्थापना समिति के अधिकारियों के समान रैंक के हैं या उससे उच्च रैंक के हैं (उदाहरण के लिए पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव या गृह मंत्री) तो समिति शिकायत को आगे कार्यवाही करने के लिए राज्य पुलिस बोर्ड को प्रेषित करेगी।

7. पदोन्नति

7.1 पदोन्नति योग्यता पर आधारित होनी चाहिए जिसका मूल्यांकन एक अर्हक परीक्षा तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन द्वारा किया जाना चाहिए।

7.2 केन्द्रीय सरकार को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए मूल्यांकन मानदंड बनाने चाहिए। पुलिस महानिदेशक सम्बद्ध राज्य के शेष अधिकारियों के लिए मूल्यांकन मानदंड बनाएंगें (राज्य सरकार के अनुमोदन सहित) यह उल्लेखनीय है कि मॉडल अधिनियम राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड को विभिन्न रैंकों पर पदोन्नति के लिए योग्यता और वरिष्ठता मानदंड निर्धारित करने का भी अधिकार प्रदान करता है।

7.3 सभी योग्य अधिकारियों को अपने कार्यकाल के दौरान कम–से–कम तीन बार पदोन्नति के अवसर मिलने चाहिए।

8. भर्ती

8.1 पुलिस संगठन में भर्ती निम्नलिखित तीन चरणों पर होती रहेगीः–

- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के लिए;
- राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस उप अधीक्षक के पद पर; और
- राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा अराजपत्रित रैंक पर सीधी भर्ती। आदर्श अधिनियम के अंतर्गत गठित यह बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी हो और इसमें संहिताबद्ध तथा वैज्ञानिक प्रणाली और प्रक्रिया अपनाएं।

8.2 सिविल पुलिस

8.2.1 सिविल पुलिस में सीधी भर्ती निम्नलिखित तक ही सीमित होनी चाहिएः–

- पुलिस उप अधीक्षक;
- उप निरीक्षक; तथा
- सिविल पुलिस अधिकारी, ग्रेड–।।

8.2.2 कांस्टेबल के स्थान पर सिविल पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए जिसके लिए निम्नलिखित उच्च

शिक्षा मानदंड और प्रशिक्षण निर्धारित किए जाने चाहिएः–

– 18–23 वर्ष के बीच की आयु और 10+2 उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की न्यूनतम अर्हता वाले व्यक्ति को तीन वर्ष के लिए प्रशिक्षु के रूप मे शामिल किया जाएगा; और
– प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने तथा पुलिस विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल करने के पश्चात् प्रशिक्षु कैडेट सिविल पुलिस अधिकारी, ग्रेड–।। बनेगा।

8.3 सशस्त्र पुलिस

8.3.1 सशस्त्र पुलिस में सीधी भर्ती निम्नलिखित पदों तक सीमित रहेगीः–

– पुलिस उप अधीक्षक या सहायक कमान्डेंट;
– रिजर्व उप–निरीक्षक; तथा
– कांस्टेबल।

8.3.2 सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रिक होगी जबकि रिजर्व उप–निरीक्षक स्नातक होगा। कांस्टेबल की आयु 18–21 वर्ष की होगी और रिजर्व उप–निरीक्षक के लिए आयु 21–24 वर्ष की होगी।

8.4 भर्ती ऐसी होनी चाहिए कि पुलिस सेवा की संरचना में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो (लिंग सहित)।

9. प्रशिक्षण

9.1 नए अधिकारियों को प्रशिक्षण अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए तथा किसी अन्य शाखा में तैनात किए जाने पर वर्तमान अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वार्षिक पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए।

9.2 प्रशिक्षण सभी पुलिस अधिकारियों के कैरियर विकास स्कीम से सम्बद्ध होने चाहिए।

9.3 राज्य सरकार सभी रैंकों और संवर्गों के पुलिस अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण/शिक्षा नीति बनाएगी।

9.4 सरकार को अपनी प्रशिक्षण संस्थाओं की मौलिक संरचना और क्षमताओं की समय–समय पर सृजन और बढोतरी करनी चाहिए।

10. पुलिस जांच का सुदृढ़ीकरण

10.1 जांच और कानून व्यवस्था कार्य को अलग–अलग किया जाएगा (यह सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल प्रस्तावित है कि नियंत्रण श्रृंखला को प्रभावित किए बगैर दोनों कार्यों को अलग–अलग किया जाए) विशेष अपराध जांच शाखाओं और विभागों को पर्याप्त सुविधाओं, वैज्ञानिक सहायता और दक्ष तथा प्रशिक्षित मानव संसाधनों से लैस किया जाना चाहिए।

10.2 राज्य स्तर पर एक अपराध जांच विभाग बनाया जाना चाहिए, जो अंतर–राज्य और अंतर जिला अपराध तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अथवा पुलिस महानिदेशक द्वारा विभाग को आवंटित गंभीर अपराधों की जांच करे। इस विभाग का नेतृत्व पुलिस उप–महानिरीक्षक करेंगे, विभाग के पास साइबर अपराध, संगठित अपराध, हत्या, आर्थिक अपराध तथा किसी ऐसे अन्य अपराध, जिसके जांच के लिए विशेष जांच कौशल (राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित) की आवश्यकता होती है, के लिए विशेषज्ञ इकाई होनी चाहिए।

10.3 सभी शहरी और अपराध प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाना स्तर पर एक विशेष अपराध जांच इकाई सृजत की जाएगी। इस इकाई का नेतृत्व उप–निरीक्षक या वरिष्ठ अधिकारी करेगा। इस इकाई को पुलिस महानिदेशक द्वारा अधिसूचित या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आवंटित अपराधों जैसे कि हत्या, अपहरण, बलात्कार, डकैती, लूट, दहेज संबंधित अपराध, धोखाधड़ी के गंभीर मामलों, दुर्विनियोग तथा अन्य आर्थिक अपराधों की जांच करनी चाहिए। अन्य सभी अपराधों की जांच पुलिस थाना के अन्य अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

10.4 विशेष अपराध जांच इकाई तथा राज्य स्तर पर अपराध जांच विभाग में तैनात अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल तीन वर्षों का होगा और अधिकतम पांच वर्षों का। विशेष अपराध जांच इकाई में तैनात अधिकारियों

को कोई अन्य कार्य नहीं दिया जा सकता है, ऐसा सिर्फ विशेष परिस्थितियों में तथा पुलिस महानिदेशक की लिखित अनुमति पर ही किया जा सकता है।

10.5 जांच और कानून व्यवस्था कार्यों को अलग–अलग किए जाने के बावजूद नियंत्रण श्रृंखला यथावत् रहनी चाहिए। इस नियंत्रण को बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी का विशेष अपराध जांच इकाई में तैनात अधिकारियों सहित पुलिस थाना के सभी अधिकारियों पर पयर्वेक्षण बना रहेगा। थाना अधिकारी के अतिरिक्त जिला स्तर पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को भी इन जांच कार्यों का पयर्वेक्षण करना चाहिए। अपर अधीक्षक जिला अधीक्षक को रिपोर्ट करेगा।

10.6 जिला स्तर पर विशेष जांच प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा जो आर्थिक अपराधों सहित अधिक गंभीर और जटिल अपराधों की जांच करेगा। इस प्रकोष्ठ में अधिकारियों द्वारा की गई जांच का पर्यवेक्षण अपर अधीक्षक द्वारा किया जाएगा जो पुलिस थाना स्तर पर विशेष अपराध इकाई में तैनात अधिकारियों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करते हैं। मामलों की संख्या के अनुसार जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के विशेष प्रयोजन के लिए जांच कार्य का पर्यवेक्षण करने वाले अपर अधीक्षक की सहायता जिला में तैनात उप–अधीक्षक द्वारा की जा सकती है।

11. कार्य निष्पादन का उत्तरदायित्व

11.1 पुलिस संगठन को मॉडल अधिनियम के अंतर्गत दो योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए। पहली योजना एक सामारिक योजना है जो अगले पांच वर्षों के लिए पुलिस प्रणाली के लक्ष्यों को निर्धारित करती है (मॉडल अधिनियम में किसी जगह तीन वर्ष की सामरिक योजना का उल्लेख किया गया है – यह संभवतः टंकण अशुद्धि है) दूसरी योजना वार्षिक योजना है जिसका उद्देश्य सामरिक योजना में निर्धारित समग्र लक्ष्य को प्राप्त करना है। सरकार राज्य पुलिस बोर्ड के परामर्श से इन दोनों योजनाओं को तैयार करेगी। सरकार और बोर्ड (पुलिस महानिदेशक जिसके सदस्य सचिव है) को योजना तैयार करने से पहले जिला पुलिस अधीक्षक से अवश्य परामर्श करना चाहिए। जिला अधीक्षक अपने विचार रखने से पहले समुदाय से परामर्श करेगा। इस योजना को राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि पुलिस व्यवस्था संबंधी नीति पर चर्चा हो।

11.2 संगठनात्मक कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए योजना के साथ–साथ आम निर्धारित कार्य निष्पादन सूचकांकों का भी उपयोग किया जाएगा। पुलिस बोर्ड को इन कार्य निष्पादन सूचकांकों की अवश्यक पहचान करनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

- कामकाजी कुशलता;
- नागरिकों की संतुष्टि;
- पीड़ित की संतुष्टि (पुलिस जांच तथा अनुक्रियाशीलता दोनों संदर्भों में);
- उत्तरदायित्व;
- संसाधनों का उपयोग; और
- मानव अधिकार रिकार्ड।

11.3 राज्य पुलिस बोर्ड प्रत्येक जिले में पुलिस संगठन का तथा समग्र रूप से राज्य पुलिस के कार्य निष्पादन का नियमित मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन में बोर्ड की सहायता कार्य निष्पादन निरीक्षालय द्वारा की जाएगी। इस निरीक्षालय का नेतृत्व सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जाएगा तथा इसमें वर्तमान या सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी समाज शास्त्री, पुलिस शिक्षाविद्र तथा अपराध सांख्यिकीविद् शामिल होंगे। सरकार निरिक्षालय के सदस्यों की नियुक्ति राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा तैयार उम्मीदवारों की सूची में से करेगी।

12. अवचार की जिम्मेदारी

12.1 पुलिस अवचार, जिसका नागरिकों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, की गंभीरता को देखते हुए उस पर आंतरिक या बाहरी (राज्य और जिला स्तर पर बाहरी पुनरीक्षा की जानी चाहिए) रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। पुलिस अवचार, जिसमें निर्धारित व्यवहार संहिता का उल्लंघन होता है तथा जिसका किसी व्यक्ति पर

कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, की विभागीय प्रक्रिया द्वारा आंतरिक रूप से जांच की जाएगी, जिसमें समुचित दंड दिया जाएगा।

12.2 राज्य सरकार राज्य स्तर पर पुलिस उत्तरदायित्व आयोग का गठन करेगी ताकि अति गंभीर अवचार की जांच की जाए, जिसकी परिभाषा इस प्रकार होगाः–

- पुलिस हिरासत में मौत;
- गंभीर चोट;
- बलात्कार या बलात्कार का प्रयास; और
- गैर–कानूनी गिरफ़्तारी या नजरबंदी।

12.3 आयोग द्वारा की गई जांच पुलिस द्वारा की गई किसी आंतरिक जाँच को प्रतिस्थापित करेगी और इसका निष्कर्ष पुलिस विभाग तथा सरकार दोनों पर बाध्यकारी होगा। ऐसे मामलों में पुलिस या सरकार के पास एकमात्र विवेकाधिकार या अधिकार आयोग द्वारा दोषी पाए गए अधिकारियों को दंड देने के संबंध में उपलब्ध होगा।

12.4 यह पुलिस का कर्तव्य होना चाहिए कि वह गंभीर अवचार के सभी मामलों को जांच के लिए आयोग को भेजें।

12.5 गंभीर अवचार के मामलों को छोड़कर पुलिस विभाग में आंतरिक जांच करने तथा अधिकारियों को अनुशासित करने की शक्ति होगी।

12.6 आयोग में वैसे पांच सदस्य होंगे जिनकी मानव अधिकार के प्रति सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता है। इन पांच सदस्यों में से एक सदस्य महिला होगी तथा एक से अधिक सदस्य पुलिस अधिकारी नहीं होगा। सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगेः–

- सभापति के रूप में उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश;
- एक अलग राज्य संवर्ग के पुलिस महानिदेशक रैंक के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी;
- न्यायिक अधिकारी, सरकारी अभियोजक, वकालत या विधि प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम दस वर्ष के अनुभव वाला व्यक्ति;
- सिविल समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति; और
- अन्य राज्य से लोक प्रशासन में अनुभवयुक्त एक सेवानिवृत्त अधिकारी।

12.7 राज्य सरकार को प्रत्येक पुलिस जिला में अथवा पुलिस रेंज के जिला समूह में एक जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण बनाना चाहिए जो पुलिस अवचार के मामलों, जिसमें किसी पुलिस अधिकारी द्वारा विधि, नियम या विनियम का जानबूझकर उल्लंघन या उसकी उपेक्षा, जिसका किसी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, की जांच की निगरानी करेगा।

12.8 जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण में मानव अधिकार के प्रति विश्वसनीय सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता वाले निम्नलिखित तीन सदस्य होंगेः–

- सभापति के रूप में सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश;
- एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी; और
- न्यायिक अधिकारी, लोक अभियोजक, वकालत, विधि प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव या लोक प्रशासन में अनुभव वाला व्यक्ति।

12.9 राज्य तथा जिला स्तर के उत्तरदायित्व निकायों से सदस्यों के चयन प्रक्रिया में सरकार को शामिल नहीं किया जाना चाहिए ताकि सदस्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। राज्य और जिला स्तर पर उत्तरदायित्व निकायों के सदस्यों के चयन के लिए समान चयन पैनल बनाए जाने चाहिए। राज्य स्तर पर चयन पैनल में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिएः–

- पुलिस उत्तरदायित्व समिति के सभापति (उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार तीन न्यायाधीशों के पैनल से सरकार द्वारा की जाएगी);
- राज्य लोक सेवा आयोग के सभापति; और
- राज्य मानव अधिकार आयोग के सभापति या इनके न होने पर लोक आयुक्त (ओम्बड्समैन) या राज्य सतर्कता आयोग के सभापति।

12.10 यह पुलिस का कर्तव्य है कि वह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों तथा पुलिस संगठन द्वारा की गई कार्यवाही के ब्यौरे की तिमाही रिपोर्ट पेश करे (जिन मामलों में नागरिक शामिल हों) यदि मामला पुलिस उप–अधीक्षक (या अधिक वरिष्ठ अधिकारी) से संबंधित हो, तो राज्य स्तर पर रिपोर्ट आयोग को भेजी जानी चाहिए तथा अन्य अधिकारियों के बारे में रिपोर्ट जिला स्तर पर प्राधिकरण को भेजी जानी चाहिए। यदि आयोग या प्राधिकरण यह महसूस करता है कि शिकायत को निपटाने में विलम्ब हुआ है तो वह पुलिस को जांच में तीव्रता लाने का निर्देश दे सकता है। यदि शिकायतकर्ता जांच के निष्कर्षों से संतुष्ट नहीं है और यह महसूस करता है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया है तो आयोग अथवा प्राधिकरण पुलिस को किसी अन्य अधिकारी द्वारा नए सिरे से जांच करने का निर्देश दे सकता है।

12.11 आयोग को सिविल न्यायालय के अधिकारों सहित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शक्तियां भी प्राप्त है। इसे किसी भी पुलिस थाना या नजरबंदी के लिए इस्तेमाल किए गए स्थान का दौरा करने की विशेष शक्ति प्राप्त होगी।

12.12 आयोग द्वारा प्राधिकरण के कार्यकरण को प्रभावित करना या उसमें हस्तक्षेप करना एक दंडनीय अपराध होगा, जिसके लिए एक वर्ष का कारावास निर्धारित है। गवाहों को धमकी, उत्पीड़न या प्रलोभन देना आयोग के कार्यों को प्रभावित करना या उसमें हस्तक्षेप करना समझा जाएगा।

12.13 शिकायतकर्ता को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगेः–

- उसके मामले में जांच की प्रगति, किसी प्रकार के निष्कर्ष और की गई कार्यवाही की आवधिक जानकारी दिया जाना;
- सुनवाई की तारीख और स्थान की जानकारी दिया जाना;
- सभी सुनवाई में शामिल होना; और
- सभी सुनवाई उस भाषा में किए जाने का अधिकार जो शिकायतकर्ता को स्पष्ट हो, और यदि यह संभव न हो, तो उसके अनुरोध पर एक भाषान्तरकार प्रदान किया जाना।

12.14 यदि किसी अन्य निकाय या अदालत द्वारा शिकायत की जांच की जा रही हो, तो शिकायतकर्ता आयोग या प्राधिकरण में शिकायत नहीं कर सकेगा।

12.15 यदि आयोग पाता है कि गंभीर अवचार की शिकायत तंग करने के इरादे से की गई है या तुच्छ है तो आयोग शिकायतकर्ता पर जुर्माना लगा सकता है।

13. पुलिस अपराध

13.1 इस पुलिस अवचार को दांडिक अपराध समझा जाएगा। इस में गैर–कानूनी गिरफ्तारी, नजरबंदी, तलाशी और जब्ती, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत न कर पाना, किसी व्यक्ति को उत्पीड़ित करना, अमानवीय व्यवहार अथवा हिंसा, दुर्व्यवहार या धमकी देना या गैर कानूनी वादा करना शामिल है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज न करना भी एक अपराध माना जाएगा, जिस पर तीन महीने के कारावास का दंड या जुर्माना (या दोनों) का प्रावधान होगा।

14. प्रकीर्ण

14.1 प्रत्येक पुलिस थाना में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग कारावास क्षेत्र और शौचालय होंगे; पुलिस थानों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की शिकायत को दर्ज करने के लिए महिला और बाल सुरक्षा डेस्क भी होंगे। पुलिस थानों में गिरफ्तारी के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश तथा विभागीय आदेश और गिरफ्तार किए गए हिरासत में रखे व्यक्तियों का ब्यौरा भी प्रदर्शित किया जाएगा।

14.2 पुलिस की भूमिका, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में वंचित समूहों की विशेष आवश्यकताओं को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। पुलिस कानून में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था की विशेष आवश्यकता के बारे में भी कहा गया है जिसमें ग्रामीण पुलिस व्यवस्था तथा आयुक्त प्रणाली को लागू करना भी शामिल है।

14.3 पुलिस कानून में केन्द्र राज्य संबंधों की पुनः परिभाषा सहित विशेष सुरक्षा क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था तथा वैकल्पिक प्रशासनिक प्रणाली पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

14.4 पुलिस अधिकारियों के कल्याण में सुधार के लिए एक पुलिस कल्याण ब्यूरो गठित किया जाना चाहिए। निःशुल्क बीमा सुरक्षा प्रदान कर, आंतरिक शिकायत निपटान प्रणाली बनाकर तथा आठ घंटे का शिफ्ट शुरू कर अधिकारियों के कल्याण में सुधार किया जा सकता है।

प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ : उच्चतम न्यायालय के निर्देश 2006–2007

वर्ष 1996 में दो भूतपूर्व महानिदेशकों ने उच्चतम न्यायालय में एक लोक महत्व का मामला दर्ज किया। इस मामले में उन्होंने उच्चतम न्यायालय से भारत में पुलिस की खराब गुणवत्ता और कार्य निष्पादन पर ध्यान देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया। वर्ष 2006 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि ''समस्या की गंभीरता'' और ''पूर्ण अनिश्चितता कि कब पुलिस सुधार लागू किए जाएगें'' को ध्यान में रखते हुए वह ''तत्काल अनुपालन के लिए समुचित निर्देश जारी करेगा।''
ये निर्देश केन्द्र तथा राज्य सरकार पर बाध्यकारी है। आरंभ में सरकार से 2006 के अंत तक निर्देशों के अनुपालन के लिए की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालय को एक रिपोर्ट देने को कहा गया। ज्यादातर राज्यों ने और अधिक समय की मांग का आवेदन दायर किया। इनमें से कुछ आवेदनों में निर्णय की समीक्षा करने की मांग की गई। न्यायालय ने अपने निदेशों की पुनरीक्षा करने से इनकार किया और निर्णय दिया कि सरकार मार्च, 2007 के अंत तक इसके निदेशों का अनुपालन करे।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश इस प्रकार हैं:–

1. राज्य सुरक्षा आयोग

1.1 प्रत्येक राज्य को एक राज्य सुरक्षा आयोग गठित करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करेगा कि पुलिस में गैर कानूनी राजनीतिक हस्तक्षेप न हो।

1.2 आयोग:–
- पुलिस के लिए नीति संबंधी मार्गनिर्देश बनाएगा;
- पुलिस के निवारक कार्यों और सेवा उन्मुखी कार्यो के निष्पादन के लिए निर्देश देगा; और
- पुलिस के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करेगा।

1.3 आयोग की संस्तुतियां सरकार पर बाधकारी होगी।

1.4 आयोग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री (या गृह मंत्री) द्वारा की जाएगी तथा इसमें सचिव के रूप में पुलिस के महानिदेशक शामिल होंगे। आयोग में अन्य सदस्य भी चुने जाने चाहिए ताकि सरकार से इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो; राज्य सरकारें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, रिबेरो कमेटी या पुलिस अधिनियम प्रारूपण कमेटी द्वारा बनाए मॉडल में से किसी एक का चयन करने के लिए स्वतंत्र है।

2. पुलिस प्रमुख का चयन और उसका न्यूनतम कार्यकाल

2.1 राज्य सरकार, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उस रैंक पर पदोन्नति के लिए विभाग से चुने गए तीन वरिष्ठ अधिकारियों में से पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करेगी।

2.2 संघ लोक सेवा आयोग निम्न आधार पर उम्मीदवारों का चयन करेगा:–
- सेवा अवधि;
- उत्तम सेवा रिकार्ड; और
- पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए अनुभव।

2.3 पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए जाने के बाद उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर ध्यान दिए बगैर उसे न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल दिया जाना चाहिए।

2.4 राज्य सरकार, राज्य सुरक्षा आयोग के परामर्श से, पुलिस महानिदेशक को अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले निम्नलिखित कारणों से उनके पद से हटा सकती है:–
- महानिदेशक के खिलाफ अखिल भारत सेवा (अनुशासन और अपील) नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही;
- किसी दांडिक अपराध अथवा भ्रष्टाचार के मामले में अदालत द्वारा दोषसिद्धी; और
- कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षमता।

3. अन्य पुलिस अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल

3.1 क्षेत्र में परिचालनात्मक कर्तव्यों पर तैनात पुलिस अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्षों का होना चाहिए। इन अधिकारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

- किसी जोन का प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक;
- किसी रेंज का प्रभारी पुलिस उप–महानिरीक्षक;
- किसी जिला का प्रभारी पुलिस अधीक्षक; और
- किसी पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी।

3.2 यह कार्यकाल अधिकारियों की पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के अध्यधीन है।

3.3 इन अधिकारियों को अपने कार्यकाल पूरा करने के पहले भी हटाया जा सकता है यदि:–

- उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है;
- किसी दांडिक अपराध अथवा भ्रष्टाचार के मामले में दोषसिद्ध होते हैं; या
- वे अशक्त हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं।

4. जांच तथा विधि व्यवस्था कार्यों को अलग–अलग करना

4.1 जांच तथा विधि व्यवस्था कार्यों को अलग किया जाना चाहिए। दोनों शाखाओं के बीच पूर्ण समन्वय होना चाहिए। इन कार्यों को अलग–अलग करने का कार्य उन शहरों तथा शहरी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जिसकी जनसंख्या दस लाख या अधिक है।

5. पुलिस स्थापना बोर्ड

5.1 प्रत्येक पुलिस संगठन एक पुलिस स्थापना बोर्ड गठित करेगा। यह बोर्ड पुलिस महानिदेशक तथा विभाग के चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बनेगा।

5.2 बोर्ड, पुलिस उप–अधीक्षक तथा अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के सभी स्थानान्तरण, तैनाती, पदोन्नति तथा अन्य सेवा संबंधित मामलों पर निर्णय लेगा। राज्य सरकार बोर्ड के निर्णय में अपवाद स्वरूप लिखित में कारण दर्ज करके ही हस्तक्षेप कर सकती है।

5.3 बोर्ड, पुलिस उप–अधीक्षक से ऊपर रैंक के अधिकारियों की तैनाती और स्थानान्तरण के संबंध में सरकार को संस्तुतियां करेगा। सरकार आमतौर पर इन संस्तुतियों को स्वीकार करेगी।

5.4 बोर्ड, पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही या उन्हें दिए गए गैर कानूनी आदेशों से संबंधित अभ्यावेदनों के निपटान के लिए अपील के मंच का भी कार्य करेगा।

5.5 बोर्ड राज्य में पुलिस के कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगा।

6. पुलिस शिकायत प्राधिकरण

6.1 प्रत्येक राज्य सरकार पुलिस शिकायत प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र निकाय गठित करेगी, जो जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों/पुलिस उपाधीक्षक तथा उससे कनिष्ठ अधिकारी के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों पर ध्यान देगा। इसी प्रकार का पुलिस शिकायत प्राधिकरण राज्य स्तर पर भी बनाया जाना चाहिए, जो पुलिस अधीक्षक के रैंक या उससे वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को निपटाएगा।

6.2 जिला शिकायत प्राधिकरण का नेतृत्व एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश करेगा, जिसका चयन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नामों के पैनल से किया जाएगा।

6.3 राज्य शिकायत प्राधिकरण का नेतृत्व उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा तथा उसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नामों के पैनल से राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

6.4 दोनों प्राधिकरणों में, सम्बद्ध जिला में शिकायतों की संख्या के अनुसार, तीन से पांच सदस्य होंगे। इन सदस्यों का चयन राज्य सरकार द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग, लोक आयुक्त तथा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार

एक पैनल से किया जाएगा। इस पैनल में सेवानिवृत्त नौकरशाह, पुलिस अधिकारी या किसी अन्य विभाग से अधिकारी या सिविल समाज के व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे।

6.5 प्राधिकरण के सदस्य पूर्णकालिक होंगे तथा उन्हें उपयुक्त पारिश्रमिक दिया जाएगा।

6.6 राज्य प्राधिकरण को पुलिस के खिलाफ गंभीर अवचार के आरोपों पर जांच करने का अधिकार प्राप्त होगा। अवचारों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:–

- मृत्यु;
- गंभीर चोट; या
- पुलिस हिरासत में बलात्कार।

6.7 जिला प्राधिकरण को निम्नलिखित सभी शिकायतों पर जांच करने का अधिकार प्राप्त होगा:–

- मृत्यु;
- गंभीर चोट;
- पुलिस हिरासत में बलात्कार;
- वसूली के आरोप;
- जमीन/मकान हड़पना; और
- अधिकारों के गंभीर दुरुपयोग की कोई भी घटना।

6.8 प्राधिकरण के सदस्य क्षेत्र में जांच करने के लिए कर्मचारी नियुक्त कर सकते हैं। ये कर्मचारी अपराध जांच विभाग, अधिसूचना या सतर्कता विभाग या किसी अन्य संगठन से लिए जा सकते हैं।

6.9 किसी पुलिस अधिकारी, जिसने कोई अपराध किया हो, के बारे में प्राधिकरण की संस्तुति बाध्यकारी है, इसका अर्थ यह है कि प्राधिकरण की जांच आंतरिक जांच को प्रतिस्थापित करेगी।

7. राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग

7.1 केन्द्रीय सरकार को संघ स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग गठित करना चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- सभापति के रूप में केन्द्रीय गृह मंत्री;
- केन्द्रीय पुलिस संगठन के प्रमुख और सदस्य के रूप में दो सुरक्षा विशेषज्ञ; और
- इसके सचिव के रूप के केन्द्रीय गृह सचिव

इस निर्णय में "केन्द्रीय पुलिस संगठन" को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें दो समूह शामिल हैं:– केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठन (जैसे कि शोध तथा विकास ब्यूरो, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो तथा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी) इस बात की संभावना नहीं है कि निर्णय में दोनों समूहों का उल्लेख किया गया हो। जब न्यायालय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के कार्यों का वर्णन करता है तो यह केन्द्रीय पुलिस संगठन को एक बल के रूप में उल्लेख करता है (अगला बिन्दू देखें)। इसका अर्थ यह है कि "केन्द्रीय पुलिस संगठन" अभिव्यक्ति में सिर्फ केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल ही शामिल है।

7.2 आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा और समुचित संस्तुतियां करेगा:

- केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के लिए पैनल का चयन और नियुक्ति करेगा, जिन्हें न्यूनतम दो वर्षों का कार्यकाल दिया जाना चाहिए;
- केन्द्रीय पुलिस संगठनों की प्रभावकारिता को बढाने के लिए उपायों की समीक्षा करेगा;
- सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न बलों के बीच समुचित समन्वय हो;
- केन्द्रीय पुलिस संगठन कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार करेगा; और
- सुनिश्चित करेगा कि बलों का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग हो जिसके लिए उनका गठन किया गया है।

भविष्य की ओर अग्रसर : भावी पुलिस सुधार प्रक्रिया

1. उच्चतम न्यायालय के निर्णय

उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उद्देश्य पुलिस के लिए कार्यात्मक स्वायत्तता तथा आचरण और कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायित्व हासिल करना है।

1.1 कार्यात्मक स्वतंत्रता

पुलिस संगठन समुदाय को सुरक्षा और सहायता देने के लिए बनाया गया है। पुलिस अधिकारी, लोक सेवक होते हैं तथा उन्हें सम्पूर्ण समुदाय के कल्याण के लिए निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक अपने कार्य करने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विधि संरचना और उत्तरदायित्व तंत्रों के अंतर्गत पुलिस को कार्यात्मक स्वतंत्रता की आवश्यकता है तथा अधिकारियों को अपने दैनिक परिचालानात्मक कार्यवाही और निर्णयों पर नियंत्रण होना चाहिए।

कार्यात्मक स्वायत्तता का अर्थ पुलिस को गैर कानूनी राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने और यह सुनिश्चित करने कि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, के बीच संतुलन बनाना है। आज के भारत में पुलिस परिचालन में गैर कानूनी हस्तक्षेप एक आम बात है। इस असंतुलन को दूर किया जाना चाहिए।

1.2 उत्तरदायित्व

कार्यात्मक स्वायत्तता को उत्तरदायित्व के साथ संतुलन बनाना चाहिए। पुलिस को एक संगठन के रूप में उत्तरदायी होना चाहिए तथा अधिकारियों को अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। निष्पादन मूल्यांकन, पुलिस कानून में शामिल किया जाना चाहिए ताकि संगठनात्मक उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो, इसके अलावा स्वतंत्र नागरिक निगरानी पूरे विश्व में अधिकारियों की उत्तरदायित्वता को बढाने में प्रभावी सिद्ध हुआ है।

2. मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006, सुधार के लिए संरचना

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों ने सुधार के लिए एक आम संरचना प्रदान की है। सरकार को प्रक्रिया और तंत्रों को कानूनी स्वरूप प्रदान करना चाहिए, जो इस संरचना के अनुरूप हो। पुलिस अधिनियम प्रारूपण कमेटी द्वारा बनाया मॉडल पुलिस अधिनियम इस प्रक्रिया के लिए एक उपयोगी संरचना है। मॉडल पुलिस अधिनियम सरकार को कुछ मुद्दों को निर्धारित करने में सहायता दे सकता है, जैसे कि निगरानी निकायों के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया और मानदंड, निगरानी निकाय के कार्य और शक्तियां तथा आंतरिक और बाह्य तंत्रों के बीच संबंध।

3. राजनीतिक इच्छा सदैव एक बाधा रहेगी

प्रकाशन के समय तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार भी उच्चतम न्यायालय के निदेशों का अनुपालन करेगी या मॉडल पुलिस अधिनियम में अंतर्विष्ट संस्तुतियों का क्रियान्वयन करेगी। हालांकि उच्चतम न्यायालय के निर्देश सरकार पर बाध्यकारी है अनेक सरकार इनके क्रियान्वयन का विरोध कर रही है। राज्य सरकारें समझती हैं कि अगर उन्होने न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया तो यह पुलिस को नियंत्रण करने की उनकी शक्तियों को कम करेगा। इस लिए कई राज्य सरकारों ने इन निर्देशों के अनुपालन से बचने के लिए अपने राज्य के लिए नए पुलिस कानून बना लिए हैं और अन्य इस ओर अग्रसर हैं।

नोट्स

नोट्स

सी.एच.आर.आई. के कार्यक्रम

सी.एच.आर.आई. के कार्यक्रम इस विश्वास पर आधारित हैं कि मानव अधिकारों, वास्तविक लोकतंत्र और विकास को लोगों के जीवन में एक वास्तविकता बनाने के लिए, कॉमनवेल्थ तथा इसके सदस्य देशों में जवाबदेही और भागीदारी के लिए काफी उच्च मानदंड और कार्यात्मक तंत्र होने चाहिए। अपने व्यापक मानव अधिकार समर्थन कार्यक्रम के अतिरिक्त, सी.एच.आर.आई. सूचना तक पहुंच और न्याय तक पहुंच की वकालत करता है। इस कार्य को यह शोध, प्रकाशन, कार्यशाला, सूचना, प्रसार और वकालत के माध्यम से करता है।

मानव अधिकार की वकालतः सी.एच.आर.आई. अधिकारिक कॉमनवेल्थ निकायों तथा सदस्य सरकारों को नियमित जानकारी प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर तथ्य जांच अभियान चलाता है। वर्ष 1995 से सी.एच.आर.आई. ने नाईजीरिया, जाम्बिया, फिजी द्वीप समूह और सिएरा लियो में अपने जांच दल भेजे हैं। सी.एच.आर.आई. कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स नेटवर्क का भी समन्वय करता है जो मानव अधिकारों की वकालत के लिए अलग–अलग समूहों की सामूहिक ताकत को बढ़ाने के लिए उन्हें एकजुट करता है। सी.एच.आर.आई. की मीडिया यूनिट यह भी सुनिश्चित करती है कि मानव अधिकार के मुद्दे नागरिकों के ध्यान में बने रहें।

सूचना तक पहुंच

सूचना का अधिकारः सी.एच.आर.आई. सिविल समाज और सरकार को कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है, एक सुदृढ़ कानून के समर्थन में तकनीकी विशेषज्ञता के केन्द्र के रूप में कार्य करता है तथा स्वस्थ परम्परा को लागू करने में सहयोगियों की सहायता करता है। सी.एच.आर.आई. सरकार और सिविल समाज के क्षमता निर्माण तथा नीति निर्माताओं के साथ समर्थन में स्थानीय समूहों और अधिकारियों के साथ सहयोग करता है। सी.एच.आर.आई. दक्षिण एशिया में सक्रिय है तथा इसने अभी हाल में भारत में एक राष्ट्रीय कानून के लिए एक सफल अभियान का समर्थन किया है और अफ्रीका में कानून बनाने में समर्थन और जानकारी प्रदान की है। सी.एच.आर.आई. प्रशान्त क्षेत्र में कानून में रूचि बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठन के साथ कार्य करता है।

संविधानवादः सी.एच.आर.आई. का विश्वास है कि संविधान सिर्फ लोगों द्वारा बनाए जाने चाहिए तथा इस पर उनका ही स्वामित्व होना चाहिए तथा इसने परामर्श प्रक्रिया द्वारा संविधान बनाने और उसकी समीक्षा करने के लिए मार्गनिर्देश तैयार किए है। सी.एच.आर.आई. जनशिक्षा के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों की जानकारी को भी बढ़ावा देता है तथा इसने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के लिए वेब आधारित मानव अधिकार मॉड्यूल तैयार किया है। निर्वाचन में सुधार के लिए सी.एच.आर.आई. ने नागरिकों के समूहों का नेटवर्क तैयार किया है जो निर्वाचन की निगरानी करता है, अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करने का विरोध करता है, मतदाताओं की शिक्षा का आयोजन करता है तथा प्रतिनिधियों के कार्य निष्पादन की निगरानी करता है।
न्याय तक पहुंचः अनेक देशों में पुलिस को नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के बजाए देश के एक दमनकारी तंत्र के रूप में देखा जाता है, फलस्वरूप अधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन होता है और नागरिकों को न्याय से वंचित होना पड़ता है। सी.एच.आर.आई. प्रणालीबद्ध सुधार को बढ़ावा देता है ताकि पुलिस वर्तमान शासन के एक तंत्र के बजाए विधि सम्मत् कानून के रखवाले के रूप में कार्य करे। भारत में सी.एच.आर.आई. के कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस सुधार के लिए जन समर्थन जुटाना है। पूर्वी अफ्रीका और घाना में सी.एच.आर.आई. पुलिस उत्तरदायित्व और राजनीतिक हस्तक्षेप के मुद्दों की जांच कर रहा है।

कारागार सुधारः कारावास की बंदिश बंदियों को उनके अधिकारो के उल्लंघन का प्रमुख केन्द्र बनाती है।
सी.एच.आर.आई. का उद्देश्य लगभग समाप्त मुलाकात प्रणाली को पुनः चालू कर कारागार को नागरिकों की जांच के लिए खोलना है।

न्यायिक वार्तालापः इन्टेराइट्स (INTERIGHTS) के सहयोग से सी.एच.आर.आई. ने विशेष रूप से समुदाय के सबसे वंचित वर्ग की न्याय तक पहुँच से संबंधित मुद्दों पर दक्षिण एशिया में न्यायाधीशों के लिए एक वार्ता श्रृंखला आयोजित की है।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–117, प्रथम तल
सर्वोदय एन्कलेव
नई दिल्ली – 110017, भारत
टेली: +91–11–2652–8152, 2685–0523
फैक्स: +91–11–2686–4688
E-mail: chriall@nda.vsnl.net.in